



Asha

मेरी पहचान मेरी आशा



**वार्षिक प्रतिवेदन एवं
लेखा विवरण 2025-2026**

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड



Dairy Innovation Awards 2024



आशा कंपनी को पेरिस में आयोजित इंटरनेशनल डेरी फेडरेशन सम्मेलन में नवाचार के लिए डेरी इनोवेशन अवार्ड-2024 से सम्मानित किया गया।


Asha

मेरी पहचान मेरी आशा



“मुख्य कार्यकारी का संदेश”

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की विकास यात्रा में हमारी महिला सदस्यों का विश्वास, सहभागिता और निरंतर सहयोग हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आप सभी माताओं एवं बहनों ने अपनी मेहनत, समर्पण और संगठन के प्रति विश्वास के माध्यम से संस्था को निरंतर आगे बढ़ाया है। आपकी सक्रिय भागीदारी ने न केवल संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आय, पशुपालन की उत्पादकता और महिलाओं के आर्थिक एवं सशक्तिकरण को भी मजबूत आधार प्रदान किया है। इस महत्वपूर्ण यात्रा में आपके निरंतर सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं टाटा ट्रस्ट एवं धानी फाउंडेशन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आशा संस्था को वित्तीय सहयोग प्रदान कर हमें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया। मैं एनडीडीबी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आशा परिवार के सदस्यों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति एवं जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किए, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से सरकारी विकास सहायता के अंतर्गत हमारी संस्था को अनुदान एवं ऋण सहायता प्रदान की तथा गोडवाड़ एफपीओ के गठन एवं संचालन के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया। साथ ही, मैं एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने निरंतर मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग एवं संस्थागत समर्थन प्रदान कर आशा संस्था के विकास एवं सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मैं संस्था से जुड़े सभी कर्मचारियों, सहायकों, दूध परिवहन से जुड़े सहयोगियों, तकनीकी टीम और सभी हितधारकों का का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो प्रतिदिन पूरी निष्ठा के साथ कंपनी के संचालन को सुचारु बनाने और सदस्यों को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहे हैं।

शुभकामनाओं सहित।

आपका विश्वसनीय

धर्मेन्द्र कुमार



मेरी पहचान मेरी आशा



“अध्यक्षा का संदेश”

प्रिय सदस्य बहनों,

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की 21 मार्च 2016 को जिस उद्देश्य के साथ स्थापना हुई थी, वह आज भी हमारी कार्यप्रणाली का आधार है—हमारे सदस्यों के घर का विक्रय योग्य दूध गांव स्तर पर पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से उचित मूल्य पर बाजार तक पहुँचे और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु प्रजनन, पशु पोषण, चारा एवं पशु स्वास्थ्य चिकित्सा जैसी आवश्यक तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएँ सदस्यों को उनके गांव स्तर पर उपलब्ध हों सके। पिछले वर्षों में आप सभी के विश्वास और सहभागिता से हमने इस उद्देश्य को निरंतर मजबूत किया है।

वित्तीय वर्ष 2025—26 हमारे लिए उपलब्धियों और आत्मविश्वास से भरा वर्ष रहा। इस वर्ष कंपनी ने लगभग ₹ 296 करोड़ का कारोबार किया और कर के पश्चात ₹ 38.02 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी दूध आपूर्ति के प्रति प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए कुल ₹ 74 लाख का लॉयल्टी इंसेंटिव प्रदान किया है। साथ ही, निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयरों पर ₹ 7 प्रति शेयर के सीमित लाभांश की भी अनुशंसा की है।

वर्ष के दौरान सदस्यों से लगभग 467.92 लाख लीटर दूध का संकलन किया गया। वर्तमान में भी हमारे दूध संकलन में निरंतर वृद्धि हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग एवं सहभागिता से हम शीघ्र ही 2 लाख लीटर प्रतिदिन दूध संकलन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारा प्रयास केवल दूध की मात्रा बढ़ाना नहीं, बल्कि दूध की गुणवत्ता, उत्पादकता और सदस्यों को प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ को भी निरंतर बेहतर बनाना है। यही हमारी सदस्य—केंद्रित विकास यात्रा की वास्तविक सफलता होगी।

सदस्यों की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा पशु आहार एवं पशु पोषण संबंधी सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने 2,908 मीट्रिक टन पशु आहार, 59.26 मीट्रिक टन मिनरल मिक्सचर तथा 91,220 लीटर कैल्शियम की बिक्री की। इन सेवाओं की बढ़ती स्वीकार्यता का मुख्य कारण आशा द्वारा चलाए जा रहे आहार संतुलन कार्यक्रम की लोकप्रियता है। संतुलित पशु आहार, बेहतर पशु स्वास्थ्य और वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन के माध्यम से दूध उत्पादन एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि करना हमारे प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है।

निदेशक मंडल एवं कंपनी के सभी सदस्यों की ओर से मैं टाटा ट्रस्ट एवं धानी फाउंडेशन का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आशा संस्था को वित्तीय सहयोग प्रदान कर हमें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया। मैं एनडीडीबी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आशा परिवार के सदस्यों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति एवं जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किए, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से सरकारी विकास सहायता के अंतर्गत हमारी संस्था को अनुदान एवं ऋण सहायता प्रदान की तथा गोडवाड एफपीओ के गठन एवं संचालन के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया। साथ ही, मैं एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने निरंतर मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग एवं संस्थागत समर्थन प्रदान कर आशा संस्था के विकास एवं सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों, सहायकों, दूध परिवहन से जुड़े सहयोगियों, तकनीकी टीम तथा सभी संबंधित अन्य सेवा प्रदाताओं को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपके समर्पण, अनुशासन और निरंतर मेहनत के बिना कंपनी की उपलब्धियाँ संभव नहीं होतीं। मैं अपने साथी निदेशकों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने सदस्यों के हितों को प्राथमिकता देते हुए कंपनी को सही दिशा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारी सामूहिक शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।

हमारी दीर्घकालिक दृष्टि एक ऐसी मजबूत, आत्मनिर्भर और सदस्य—केंद्रित संस्था का निर्माण करना है, जो राजस्थान में महिला दूध उत्पादकों को दूध एवं अन्य संबंधित सेवाओं के माध्यम से अधिकतम आर्थिक लाभ, सामाजिक उत्थान और बेहतर जीवन के अवसर प्रदान करे।

शुभकामनाओं सहित
आपकी विश्वसनीय
नरसा कुंवर, अध्यक्ष

निदेशक मण्डल

श्रीमती नरसा कुंवर	(DIN:09691291)	अध्यक्ष एवं निदेशक
श्रीमती कन्या	(DIN:08480274)	निदेशक
श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चौबीसा	(DIN:09150409)	निदेशक
श्रीमती माफी देवी	(DIN:09232051)	निदेशक
सुश्री भावना कुमारी	(DIN:10294947)	निदेशक
सुश्री रंजना कुंवर राठौड़	(DIN:10294970)	निदेशक
श्रीमती संतोष चौधरी	(DIN:10778024)	निदेशक
श्रीमती शांता पटेल	(DIN:11265734)	निदेशक
श्रीमती सज्जन कुंवर	(DIN:11265747)	निदेशक
श्रीमती गुलाबी	(DIN:11265759)	निदेशक
श्रीमती ललिता जाट	(DIN:11265766)	निदेशक
श्री नरिंदर सिंह बहगा	(DIN:06990320)	विशेषज्ञ निदेशक
श्री बलजिंदर सिंह	(DIN:07868463)	विशेषज्ञ निदेशक
श्री धर्मेन्द्र कुमार	(DIN:08122632)	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

श्री जैसराज
कंपनी सचिव

श्री हर्षित जैन
प्रबंधक—वित्त एवं लेखा

वैधानिक अंकेक्षक
केएमजीएस एण्ड एसोसिएट्स
नई दिल्ली

आंतरिक अंकेक्षक
केपीएमजी एशयोरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी
गुरुग्राम

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट	बैंकर्स	अनुक्रमणिका	
बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगरी, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली-110 062	ऐक्सिस बैंक, उदयपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उदयपुर एच.डी.एफ.सी. बैंक, उदयपुर आईसीआईसीआई बैंक, उदयपुर	विवरण	प्रष्ठ सं.
		1. निदेशकों का प्रतिवेदन	01
		2. वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	12
		3. वित्तीय विवरण एवं नोट्स	23

पंजीकृत कार्यालय :

प्लॉट नंबर-03, पानेरियो की मादड़ी, सेक्टर-9, सी-ब्लॉक, हिरण मगरी,
सवीना, उदयपुर, राजस्थान — 313002

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049656

दूरभाष : +91 0294 2481466

ईमेल : info@ashamilk.com | वेबसाइट : www.ashamilk.com

(नोट: हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की
अस्पष्टता/असामंजस्यता/त्रुटि पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।)

शेयरधारकों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के व्यवसाय एवं परिचालन के संबंध में लेखापरीक्षित खाते, वार्षिक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA (वर्तमान में कम्पनी अधिनियम 2013 का अध्याय XXI A) के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 21 मार्च, 2016 को राजस्थान राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया है।

वित्तीय परिणाम (Financial Results)

संक्षिप्त में कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार हैं:—

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राशि लाख रु में)	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राशि लाख रु में)
कुल आय	29641.88	23006.80
कुल लागत (व्यय सहित)	29592.22	22929.92
कर के पूर्व लाभ / (हानि)	49.67	76.87
कर हेतु प्रावधान	11.65	31.83
कर के पश्चात् लाभ / (हानि)	38.02	45.05

पिछले वर्ष कम्पनी की व्यवसाय से कुल आय रु. 23,006.80 लाख की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान लगभग 28% की वृद्धि के साथ कम्पनी की व्यवसाय से कुल आय ₹29,641.88 लाख रही। पिछले वर्ष के कुल लागत (व्यय सहित) रु 22,929.92 लाख की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान कुल लागत (व्यय सहित) रु 29,592.22 लाख रहे हैं।

पिछले वर्ष के कर के पश्चात् लाभ रु. 45.05 लाख की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान कर के पश्चात् लाभ कमी के साथ रु. ₹38.02 लाख रहा है।

सीमित लाभांश (Dividend)

निदेशक मंडल को रु. 7/- प्रति समता अंश की दर से कुल रु. 58.14/- लाख सीमित लाभांश (डिविडेंड) राशि देने की अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सीमित लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान आगामी 11वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2026 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तांतरण

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.10 के प्रावधानों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के साथ पढ़े जाने के अनुसार, निदेशक मंडल ने रु. 38.02/- लाख की राशि को आर्थिक चिह्ना में सामान्य संचय में हस्तांतरण करना प्रस्तावित है।

परिचालन की समीक्षा:—

दूध संकलन

समीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 373.33 लाख लीटर दूध का संकलन में लगभग 10% की वृद्धि के साथ 467.92 लाख लीटर दूध का संकलन किया है। कंपनी ने उदयपुर, पाली, सिरोही, जालौर, डूंगरपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बाड़मेर एवं सलूंबर जिलों के 1,108 गांवों से सात मिल्क चिलिंग सेंटर एवं तीन बल्क मिल्क कूलर केंद्रों के माध्यम से दूध का संकलन कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात कंपनी ने बाड़मेर एवं जोधपुर जिलों में अपने परिचालन का विस्तार किया तथा दो नए बल्क मिल्क कूलर केंद्रों के माध्यम से दूध का संकलन प्रारंभ किया।

वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के सदस्यों की कुल संख्या 53,770 थी। सदस्यों द्वारा कंपनी के कार्य एवं संचालन में निरंतर विश्वास व्यक्त किया गया है। सदस्यों की यह बढ़ती सहभागिता कंपनी की विकास यात्रा के लिए एक सकारात्मक संकेत है। सक्रिय सदस्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि तथा उनके पारस्परिक सहयोग एवं समर्थन से कंपनी के आने वाले वर्षों में और अधिक ऊंचाइयां प्राप्त करने की उम्मीद है। सदस्यों को कंपनी के साथ नियमित रूप से दूध आपूर्ति को प्रोत्साहित करने हेतु, कंपनी द्वारा सदस्यों को लगभग ₹74 लाख की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया।

जहाँ तक खरीद कीमतों का संबंध है, कंपनी का अपने सदस्यों को उनके द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दूध के लिए प्रतिस्पर्धी और लाभकारी कीमतों का भुगतान करना जारी है।

कंपनी अपने सदस्यों से दूध की खरीद को अधिकतम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा लागत में कमी लाने के विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जांच में सुधार तथा लॉजिस्टिक्स पर बेहतर नियंत्रण आदि शामिल हैं।

मरुधरा घी

कंपनी ने अपना पहला दूध उत्पाद 15 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर “मरुधरा घी” अपने ब्रांड के नाम से लॉन्च किया। 6वीं वार्षिक आम सभा में, कंपनी ने अलग-अलग वजन के पैकेट में इसके विभिन्न वेरिएंट लॉन्च किए। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान 39.4 मीट्रिक टन घी की बिक्री की है।

मरुधरा बीकानेरी रसगुल्ला

कंपनी ने 15 अगस्त, 2023 को “मरुधरा बीकानेरी रसगुल्ला” का शुभारंभ किया था। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान कंपनी द्वारा कुल 4434 किलोग्राम बीकानेरी रसगुल्ला की बिक्री की गई।

उत्पादकता वृद्धि सेवाएँ:

राशन संतुलन कार्यक्रम

कंपनी के परिचालन क्षेत्र में उत्पादक पुरानी आहार/चारा प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। कंपनी ने पशुओं की आवश्यकता के अनुसार बेहतर आहार पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए राशन संतुलन कार्यक्रम (आरबीपी) को अपनाया है। इस कार्यक्रम के तहत दूध उत्पादकों को पशुओं के लिए संतुलित आहार खिलाने की सलाह दी जाती है जिसे सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया गया है। दुग्ध उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास उपलब्ध खाद्य सामग्री का उपयोग करके संतुलित आहार बनायें जिसके परिणामस्वरूप दूध उत्पादन में वृद्धि, पशु स्वास्थ्य और दूध उत्पादन लागत में कमी कर सके हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राशन संतुलन कार्यक्रम के तहत 4419 नए मवेशियों को शामिल किया गया है।

कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवाएँ

कंपनी प्रशिक्षित एआई तकनीशियनों के माध्यम से दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार, उत्पादकता में सुधार, दूध उत्पादन की लागत को कम करने और अपने परिचालन क्षेत्र में किसानों की आय को अधिकतम करने के लिए किसानों के द्वार पर शीर्ष आनुवंशिकी का उपयोग करके कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवाएं प्रदान कर रही है।

इस कार्यक्रम हेतु कम्पनी द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवाओं को चयन के पश्चात उन्हें एनडीडीबी के प्रशिक्षण केंद्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की तिथि से 21 दिनों के बाद मवेशियों की पुनः गर्मी की जाँच, 90 दिनों के बाद गर्भधारण की जाँच की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने दुग्ध उत्पादकों के लिए 15275 एआई की है।

बांझपन उपचार शिविर

बांझपन पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाने में एक बड़ी बाधा है, इसलिए कंपनी द्वारा अपने परिचालन क्षेत्र में बांझपन उपचार शिविरों का आयोजन किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 28 बांझपन उपचार शिविर आयोजित किए गए।

सीएमटी (कैलिफोर्निया मास्टिटिस परीक्षण)

मास्टिटिस, एक संभावित घातक स्तन ग्रंथि संक्रमण, दुनिया भर में डेयरी मवेशियों में सबसे आम बीमारी है। यह डेयरी उद्योग की सबसे महंगी बीमारी भी है।

इसलिए, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सदस्यों के दुधारू पशुओं के लिए कुल 3419 सीएमटी (कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट) किए गए।

पशु आहार

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पिछले वर्ष 2651 मीट्रिक टन की तुलना में 2,908 मीट्रिक टन पशु आहार की बिक्री की है।

मिनरल मिक्सचर

कम्पनी ने अपने ब्रांड नाम से मिनरल मिक्सचर विकसित किया है जो संचालन के क्षेत्र में उपलब्ध चारे, जलवायु और भोजन की आदतों को ध्यान में रखते हुए और स्वस्थ दूध उत्पादन और दूधारू पशुओं के प्रजनन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उत्पादकों को प्रदान करा रही हैं। कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 59.26 मीट्रिक टन मिनरल मिक्सचर की बिक्री की है।

कैल्शियम

उत्पादकता बढ़ने वाली सेवाओं का विस्तार करके अपने किसानों के लिए पशुपालन को अधिक लाभदायक बनाने की निरंतरता में, कंपनी ने अपनी चौथी वार्षिक आम बैठक में “आशा चैलेटेड डबल स्ट्रेंथ कैल्शियम” लॉन्च किया। कैल्शियम हड्डी के मुख्य घटकों में से एक है और युवा मवेशियों में उचित विकास प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। कैल्शियम का सेवन अपर्याप्त होने पर विकास दर धीमी होती है। कैल्शियम की कमी है वहां रिकेट्स, कमजोर कंकाल या यहां तक कि हड्डी टूटने की सम्भावना रहती है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025–26 में अपने सदस्यों को 91220 लीटर कैल्शियम प्रदान किया है।

गुणवत्ता हेतु पहल

दुग्ध शीतलन केंद्र (एमसीसी) और थोक दुग्ध शीतलक (बीएमसी) कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता को जांचने के लिए पूर्ण रूप से आधारभूत जाँच सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित है। एफएसएसआई के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार एमसीसी स्तर पर नई मिलावट परीक्षण और एंटीबायोटिक परीक्षण प्रक्रिया शुरू की गई है। कंपनी के परिचालन में उच्च गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने और बनाए रखने की दिशा में, कंपनी ने स्वच्छता पर जोर देने के साथ उन सभी संबंधित लोगों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है और लगातार कर रही है जो दूध की गुणवत्ता से सीधे जुड़े हुए हैं। फार्म स्तर पर स्वच्छ दूध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम स्तर पर 475 स्वच्छ दूध उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 16599 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

उत्पादक संस्था निर्माण(पीआईबी)

पीआईबी बेहतर प्रशासन विधि और सदस्य-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से व्यवसाय को मजबूत करता है। कंपनी के व्यवसाय में सदस्यता और सदस्यों की भागीदारी को बढ़ाने के प्रयास किये गए हैं जिससे की अर्थव्यवस्थाएं बेहतर हो सकें।

पीआईबी गतिविधियां मुख्य रूप से अपनी खुली एवं पारदर्शी शासन विधियों और उनके संरक्षण के अनुपात में इक्विटी के प्रति सदस्यों के योगदान के माध्यम से डेयरी क्षेत्र के अन्य प्रतियोगियों से प्रोड्यूसर कम्पनी को अलग करती हैं।

एमपीसी के मूल डिजाइन सिद्धांत

कोर डिजाइन सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाता है। व्यवसायिक गतिविधियों को केवल सदस्यों तक ही सीमित रखा गया है। सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता की व्यवसाय और प्रशासन विधि में भागीदारी को सदस्य शिक्षा और जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है।

ग्राम स्तर पर विलेज कांटेक्ट ग्रुप (वीसीजी) नाम के अनौपचारिक समूहों के गठन के माध्यम से सदस्य संचार और शिकायत निवारण के लिए एक उचित तंत्र है जो सदस्यों और कंपनी के बीच पारस्परिक संचार सुनिश्चित करने के लिए सामयिक आधार पर मिलते हैं, जिससे सदस्य की शिकायतों का समाधान हो सके। कर्मचारियों की व्यवहार्यता और आत्म-निर्वाह को सुनिश्चित करने के लिए तथा व्यावसायिक परिचालन के कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने और उच्च श्रेणी के आर्थिक स्तर को हासिल करने के लिए कर्मचारियों को शीघ्रतिशघ्र व्यवहर्ता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम

सदस्यों को डेयरी से संबंधित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझ सकें। कंपनी द्वारा सदस्यों, संभावित सदस्यों और कर्मचारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न प्रकार थे:

क्र. स.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	सहायकों के लिए रिफ्रेशर कार्यक्रम	10	270
2	उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	610	18,190
3	अभिमुखीकरण कार्यक्रम (VCG)	690	3,450
4	ग्राम जागरूकता कार्यक्रम	36	1,440
5	JICA के अंतर्गत कर्मचारी प्रशिक्षण	15	118
6	कर्मचारी रिफ्रेशर कार्यक्रम	1	70
7	कर्मचारियों के लिए गुणवत्ता सुधार प्रक्रिया प्रशिक्षण	8	155

गोडवाड फोडर एंड एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (फोडर प्लस एफपीओ) को CBBO के रूप सहायता

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पूरे भारत में 10,000 किसान उत्पादन संगठनों (FPOs) के गठन और संवर्धन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रारम्भ की थी, जिसका क्रियान्वयन विभिन्न हितधारकों जैसे कार्यान्वयन एजेंसियों, क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (CBBOs) का राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी और संबंधित राज्य प्राधिकरणों के माध्यम से किया जा रहा है।

भारत में एफपीओ के गठन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) नेशनल डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने उक्त योजना के अंतर्गत चारा प्लस एफपीओ के गठन के लिए क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (CBBO) के रूप में आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी को नियुक्त किया और तदनुसार गोडवाड फोडर एंड एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड को दिनांक 19 अप्रैल, 2023 को राजस्थान राज्य में कम्पनी अधिनियम, 2023 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में सम्मिलित किया गया।

गोडवाड एफपीसी का मुख्य उद्देश्य चारा विकास गतिविधियां हैं जैसे हरा चारा/साइलेज उत्पादन और बिक्री, तैयार खाने योग्य टीएमआर का उत्पादन, उनकी बिक्री, इनपुट (कच्चा चारा सामग्री, मिनरल मिक्सचर, चारा अनुपूरक, चारा बीज आदि) का खरीद और आपूर्ति एवं साथ छोटे/सीमांत किसानों को बाजार तक पहुंच उपलब्ध हो सके।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, गोडवाड फोडर एंड एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड ने लगभग ₹172 लाख का कुल राजस्व अर्जित किया तथा 707 उत्पादक सदस्य जोड़े हैं।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात कंपनी के निदेशक मंडल ने आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड में विलय किए जाने की सिफारिश कंपनी के सदस्यों के समक्ष उनके विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु की है। उक्त विलय कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

अंश पूंजी एवं सदस्यता

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की अदत अंश पूंजी ₹8,30,59,800 थी, जिसमें ₹100/- प्रत्येक के 8,30,598 इक्विटी शेयर शामिल थे तथा कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में 53,770 सदस्य दर्ज थे।

31 मार्च, 2026 के पश्चात्, कंपनी ने 247 सदस्यों की सदस्यता रद्द की है, जिनके पास 9492 शेयर थे। साथ ही, कंपनी ने 3756 नए सदस्यों को जोड़े गये हैं तथा नए एवं वर्तमान सदस्यों को कुल ₹47.53 लाख की अंश पूंजी आवंटित की है। अतः इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी में सदस्यों की कुल संख्या 57279 है तथा उनकी कुल अंश पूंजी ₹8,78,13,100 है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कोई इक्विटी शेयर या वरीयता शेयर जारी नहीं किए हैं और न ही ऐसी कोई प्रतिभूतियां जारी की हैं, जो ऐसी प्रतिभूतियों को शेयरों में परिवर्तित करने का कोई अधिकार या विकल्प प्रदान करती हों।

मतदान का अधिकार एवं वार्षिक आम सभा में उपस्थिति

दूध उत्पादक, जो इस रिपोर्ट की दिनांक को सदस्य थे, वार्षिक आम सभा में भाग ले सकेंगे। प्रत्येक सदस्य को एक वोट डालने का अधिकार होगा, जिसने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 दिन और 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित

अदावाकृत और अनपेड डिविडेंड और अंश आवेदन राशि/निरस्त किए गए अंशों की बकाया राशि की सूची कम्पनी की वेबसाइट पर www.ashamilk.com उपलब्ध है। अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त सूचियों को देख सकते हैं और यदि उक्त सूचियों में कोई भी उपरोक्त राशि शेष रही है, तो वह उसे प्राप्त करने के लिए कम्पनी से सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड की बैठक

समीक्षा वर्ष के दौरान, सात बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक का विवरण नीचे दिया गया है।

बोर्ड बैठक की क्र. सं.	बोर्ड बैठक की दिनांक	बोर्ड के कुल सदस्य	उपस्थित निदेशकों की संख्या
56th	17.05.2025	10	10
57th	15.07.2025	10	8
58th	22.08.2025	10	10
59th	14.10.2025	14	13
60th	10.12.2025	14	13
61st	29.01.2026	14	12
62nd	20.03.2026	14	11

हितधारक संबंध समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के हितधारकों की शिकायतों के निवारण हेतु निदेशक मंडल द्वारा हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया है।

हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

- i. श्रीमती नरसा कंवर – अध्यक्ष
- ii. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चौबिया – सदस्य
- iii. श्री धर्मेन्द्र कुमार – सदस्य

समीक्षा वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

बैठक की क्र. सं.	बैठक की दिनांक	समिति के कुल सदस्य	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1st	15.07.2025	3	3
2nd	20.03.2026	3	3

समिति की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, एक नामांकन समिति की बैठक 30 जुलाई, 2025 को तथा वित्त समिति की बैठकें 17.05.2025, 15.07.2025 और 20.03.2026 को आयोजित की गईं।

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कम्पनी की नीति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधान जोकि नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित है, कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

निदेशक मंडल

श्री बलजिंदर सिंह को कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में 02 जुलाई, 2025 से दो वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया गया।

श्रीमती रचना देवधर गोयल ने 15 जुलाई, 2025 से कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया।

श्री नरिंदर सिंह बहगा को 16 जुलाई, 2025 से दो वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्रीमती ललिता जाट (DIN:11265766), श्रीमती सज्जन कुंवर (DIN:11265747), श्रीमती गुलाबी (DIN:11265759) तथा श्रीमती शांता पटेल (DIN:11265734) को 26 सितंबर, 2025 से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की निदेशक श्रीमती कन्या (DIN:08480274), सुश्री भावना कुमारी (DIN:10294947) तथा सुश्री रंजना कुंवर राठौड़ (DIN:10294970) कंपनी की आगामी 11वीं वार्षिक आम बैठक में चक्रयुक्त से सेवानिवृत्त होंगी।

निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:—

- a) वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का महत्वपूर्ण प्रारंभिक से संबंधित उचित व्याख्या अनुपालन किया गया है।
- b) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपर्युक्त हैं कि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ और हानि का सही और उचित दृष्ट प्रस्तुत कर सकें।

- c) कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा के साथ छल-कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखें तैयार करने तथा उनके रख-रखाव के लिए आवश्यक उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।
- d) निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।
- e) निदेशकों ने लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह प्रणाली उचित और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिए सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। कंपनी के आंतरिक अंकेक्षण नियमित तौर पर एक बाहरी कंपनी मैसर्स केपीएमजी एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी के द्वारा किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण कंपनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ-साथ नियमित रूप से कंपनी का अंकेक्षण करते हैं।

मानव संसाधन

कर्मचारी कंपनी की सम्पत्ति हैं और कंपनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके जूनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम वर्क ने कंपनी को विकसित होने में सक्षम बनाया है। कंपनी हमेशा एक सकारात्मक, सहायक, खुले और उच्च प्रदर्शन कार्य संस्कृति और पर्यावरण की पेशकश करने के लिए प्रयासरत है जहाँ नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को पहचाना जाता है और कर्मचारियों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

कंपनी के मूल्य, ध्येय, द्रष्टि का पालन कंपनी के दीर्घकालीन विकास को बनाये रखने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर पालन किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के विभिन्न कार्यों को सहायता प्रदान करती है और कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बनाने में मदद करती है। सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य परिचालन की दक्षता में सुधार करने, सही सूचना के आधार पर उचित निर्णय लेने और राजस्व बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रदान करना है। हमारी कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति के पश्चात, कंपनी में SAP सॉफ्टवेयर लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य उद्योग मानकों के अनुरूप कार्यप्रणालियों को सुनिश्चित करना, अनुपालन एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा दैनिक दूध खरीद, सदस्यता प्रबंधन, शेयरधारिता संबंधी विवरण आदि जैसे बड़ी मात्रा में डेटा के प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करना है। इसके कार्यान्वयन से संगठन में विभिन्न कार्यों के एकीकृत नियोजन एवं प्रबंधन को सक्षम बनाने में सहायता मिलेगी।

सावधि जमा

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान कोई जमायें स्वीकार नहीं की है।

ऋण, दी गई गारंटी और निवेश का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कम्पनी ने कोई ऋण की अनुमति या कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है और ना ही कोई निवेश किया है।

संबंधित पक्ष के साथ अनुबंध अथवा लेनदेन का विवरण

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा संबंधित पक्ष के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएं/लेनदेन

अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में आर्म लेन्थ बेसिस और व्यवसाय के सामान्य श्रृंखला में थे। कम्पनी द्वारा प्रमोटर्स, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया गया था, जो बड़े पैमाने पर कम्पनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान कम्पनी ने संबंधित पार्टियों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नहीं किया था, जिसे भौतिक माना जा सकता है या जिसे अधिनियम की धारा 188 और कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) को धारा 134(3) (h) के साथ पढ़े जाने के संदर्भ में फॉर्म AOC-2 में रिपोर्ट करना आवश्यक है।

जोखिम प्रबंधन

मैसर्स केपीएमजी एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी, आंतरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर अपना जोखिम मूल्यांकन देते हैं और इन रिपोर्टों को समय-समय पर बोर्ड के समक्ष बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है और चर्चा की जाती है। कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी भी जोखिम की पहचान एवं उसके न्यूनीकरण हेतु आवश्यक उपाय किए जाते हैं, जो कंपनी के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है।

लेखापरीक्षक

मैसर्स केएमजीएस एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी की छठी वार्षिक आम सभा में कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में 5 वर्ष की अवधि, कंपनी की 11वीं वार्षिक आम सभा के समापन तक, के लिए नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल कंपनी की आगामी 11वीं वार्षिक आम सभा के समापन पर समाप्त हो जाएगा।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के प्रावधानों के अनुसार, वैधानिक अंकेंशकों ने धोखाधड़ी की किसी भी घटना की सूचना नहीं दी है।

निदेशक मंडल ने मैसर्स केएमजीएस एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के स्थान पर मैसर्स एस.एन. धवन एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पाँच वर्षों के लिए कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से लेकर 16वीं वार्षिक आम सभा के समापन तक की अवधि के लिए, सदस्यों की स्वीकृति के अधीन वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

लागत अभिलेख

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित लागत अभिलेखों का रखरखाव और लागत लेखा परीक्षा की आवश्यकता कम्पनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर लागू नहीं होती है।

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान के सचिवीय मानक

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों की आवश्यकताओं के अनुपालना के लिए कम्पनी में एक उचित प्रणाली और प्रक्रिया स्थापित है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

सचिवीय अंकेंक्षण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार, कम्पनी पर सचिवीय अंकेंक्षण लागू नहीं है।

अंकेंशकों की रिपोर्ट पर बोर्ड की समीक्षा

अंकेंशकों की रिपोर्ट में संदर्भित नोट्स और वित्तीय विवरण स्व-व्याख्यात्मक हैं और उन पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। अंकेंशकों की रिपोर्ट में कोई अयोग्यता, शर्त, रोक या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

वार्षिक रिटर्न

दिनांक 31 मार्च, 2026 के लिए कम्पनी का वार्षिक रिटर्न कम्पनी की वेबसाइट www.ashamailk.com पर देखा जा सकता है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध और प्रतितोश) अधिनियम, 2013 का प्रकटीकरण

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध और प्रतितोश) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये उपनियमों की अनुपालना में, कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिंग उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की निवारण, प्रतिशोध और प्रतितोश पर नीति बनाकर कार्यान्वित कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025–2026 के दौरान, प्राप्त और निपटाये गये शिकायतों का सारांश निम्नलिखित है:

वर्ष में प्राप्त लैंगिंग उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	Nil
वर्ष के दौरान निपटाई शिकायतों की संख्या	Nil
90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या, पूर्व में दिये गये विवरण में कम्पनी ने वर्ष के दौरान निपटाई शिकायतों की संख्या कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध और प्रतितोश) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायतों समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है	Nil

प्रसूति प्रसूविधा अधिनियम 1961 के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, कम्पनी ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 से संबंधित लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कर्मचारियों का विवरण

समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक वेतन नहीं मिला। इसलिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के साथ पढ़े कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के संशोधित नियम 5 (2) के अनुसार कर्मचारियों का कोई विवरण नहीं दिया जा रहा है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(m) को कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़े जाने के अनुसार आवश्यक विवरण देने के संबंध में:

- ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में भाग ए तथा बी के नियम कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- विदेशी विनिमय आय तथा निकासी : आय : शून्य, निकासी : शून्य

अन्य प्रकटीकरण

- कोई भी कम्पनी ना तो आशा कम्पनी की सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कम्पनी बनी या समाप्त हुई है।
- विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं हुआ है जोकि कम्पनी के संचालन एवं भविष्य की परिचालन स्थिति को प्रभावित करता है।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

- d) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (10) के प्रावधान सचेतक तंत्र कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- e) कम्पनी के विरुद्ध दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कोई कार्यवाही प्रारंभ / लंबित नहीं है जोकि कम्पनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।
- f) एकमुशत निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किया गया मूल्यांकन, उसके कारणों सहित कम्पनी पर लागू नहीं होता है।
- g) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

आभार

निदेशक मंडल, कंपनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों और बैंको द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए योगदान और नियमित सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता है और सभी की सराहना व्यक्त करता है।

आपके निदेशक, धानी फाउंडेशन और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज द्वारा प्रदान किये जा रहे प्रोत्साहन और निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल कंपनी के सभी कर्मचारियों और कंपनी संबंधित सभी लोगों के उत्साहपूर्ण सहयोग, उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए सराहना करता है, जिसके प्रयासों के बिना कंपनी की सभी वर्गों में प्रगति और विकास करना संभव नहीं होता।

वास्ते निदेशक मंडल एवं उसकी ओर से

ह/-

तारीख : 18.08.2026

स्थान : उदयपुर

नरसा कुंवर

अध्यक्ष एवं निदेशक

DIN : 09691291

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2026 तक की बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण, उस वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी को अधिनियम में अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 के साथ कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006, यथासंशोधित ("लेखांकन मानक") के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं। उक्त वित्तीय विवरण 31 मार्च 2026 को कंपनी की वित्तीय स्थिति, तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और उसके रोकड़ प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों (एसए) के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ" अनुभाग में किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का हमने पालन किया है। हमने इन आवश्यकताओं तथा आईसीएआई की नैतिक संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य हमारे लेखापरीक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

- अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। निदेशक की रिपोर्ट लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।
- वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।
- वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है तथा ऐसा करने में, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से अंसगत है या अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है।
- जब हम निदेशक की रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें एसए 720 "अन्य जानकारी से संबंधित लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों" के हमें इस मामले को शासन के प्रभारी लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल की जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के संबंध में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करना है, जो लेखांकन मानकों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन की जिम्मेदारी कंपनी की एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करना, जहाँ लागू हो वहाँ चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करना तथा लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करना है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन करने या उसके परिचालन को बंद करने का इरादा न रखता हो अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व:

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत प्रस्तुतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, उनसे वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की उचित संभावना हो।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुति का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत प्रस्तुति की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण को दरकिनार करना शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षण से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है या नहीं तथा ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं या

नहीं, इस संबंध में अपनी राय व्यक्त करना भी हमारी जिम्मेदारी है।

- प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना तथा प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित करना कि ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है या नहीं, जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय में संशोधन करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या परिस्थितियाँ कंपनी को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने में असमर्थ बना सकती हैं।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, का मूल्यांकन करना तथा यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

महत्वपूर्णता वित्तीय विवरणों में गलत प्रस्तुतियों की वह मात्रा है, जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की संभावना हो। हम (i) अपने लेखापरीक्षण कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक महत्वपूर्णता तथा गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं। और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में पहचानी गई किसी भी गलत प्रस्तुति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भी इन कारकों पर विचार करते हैं।

हम प्रबंधन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों को, अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षण के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षण के दौरान हमारे द्वारा पहचाने गए महत्वपूर्ण निष्कर्षों के संबंध में सूचित करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पहचानी गई कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है।

हम अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों को यह वक्तव्य भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा हम उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं जिनके बारे में यथोचित रूप से यह माना जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं और, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी सूचित करते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

1. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- a) हमने अपने लेखापरीक्षण के उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।
- b) हमारी राय में, कंपनी ने कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से ऐसा प्रतीत होता है।
- c) इस रिपोर्ट में विचार किए गए बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि का विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

- d) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- e) 31 मार्च, 2026 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया, किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2026 को निदेशक के रूप में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं है।
- f) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ए" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- g) अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार, यथासंशोधित, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होने के कारण, अधिनियम की धारा 197, जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित है, कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- h) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमेबाजी नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।
 - ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण नुकसान हुआ हो।
 - iii. ऐसी कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरित की जाने वाली कोई राशि नहीं थी।
 - iv. a) प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ घोषित किया है कि, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है) को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरीके से पहचाना जाता है या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करता है।
 - b) प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ घोषित किया है कि, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियां") सहित कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं किया गया है। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।
 - c) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया

है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (a) और (b) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

- v. पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, जहाँ लागू हो, अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 29 में वर्णित किया गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि, जहाँ लागू हो, अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

- vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण के आधार पर जांच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखा पुस्तकें बनाए रखने हेतु ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा उपलब्ध है तथा उक्त सुविधा सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के संबंध में पूरे वर्ष संचालित रही है। इसके अतिरिक्त, हमारे लेखापरीक्षण के दौरान हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया जिसमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ की गई हो तथा कंपनी ने वैधानिक अभिलेख संरक्षण आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को सुरक्षित रखा है।

2. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश/सीएआरओ 2020") द्वारा आवश्यक है, हम "अनुलग्नक बी" में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के भाग IV की धारा 378ZG द्वारा अपेक्षित है, हम "अनुलग्नक सी" में उक्त धारा में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

केएमजीएस और एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(पंजीकरण संख्या 4730N)

ह /—

जगह: नई दिल्ली
दिनांक: 18.08.2026

प्रमोद कुमार कपूर

साझेदार

(सदस्यता संख्या 082424)

UDIN: 26082424TPQFRF7792

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक “ए”

(हमारी उसी तारीख की रिपोर्ट के ‘अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ के अंतर्गत पैराग्राफ 1(f) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (“कंपनी”) के 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षण किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के साथ-साथ किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट (“मार्गदर्शन नोट”) और कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक अपना ऑडिट किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के

अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर कमजोर हो सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2026, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

केएमजीएस और एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड एकाउंटेंट

(पंजीकरण संख्या 4730N)

ह /—

जगह: नई दिल्ली

दिनांक: 18.08.2026

प्रमोद कुमार कपूर

साझेदार

(सदस्यता संख्या 082424)

UDIN: 26082424TPQFRF7792

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक बी।

(हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और लेखा पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के अनुसार सामान्य लेखा परीक्षा के दौरान और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं कि:

- (I) संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:
- (A) कंपनी ने संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण का उचित अभिलेख रखा है, जिसमें उनके पूर्ण विवरण, मात्रात्मक विवरण तथा स्थान संबंधी जानकारी शामिल है।
 - (b) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख रखा है।
 - संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा नियमित सत्यापन कार्यक्रम के अनुसार भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में सभी संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण के उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन प्रदान करता है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।
 - कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (i)(c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
 - कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
 - बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और 31 मार्च 2026 तक ऐसी कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।
- (ii) a. प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर वर्ष के दौरान (माल-इन-ट्रांजिट) को छोड़कर माल सूची को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसके संचालन की प्रकृति को देखते हुए उपयुक्त है। माल-इन-ट्रांजिट के लिए, माल वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त हुआ है। लेखा पुस्तकों की तुलना में इन्वेंटरी के प्रत्येक वर्ग के कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति, ऐसे भौतिक सत्यापन अथवा, जहाँ लागू हो, की गई वैकल्पिक प्रक्रियाओं के दौरान नहीं पाई गई।
- b. कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या वित्तीय संस्थानों से चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर कुल मिलाकर ₹5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(b) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों में कोई निवेश नहीं किया है, न ही कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है तथा न ही सुरक्षित या असुरक्षित कोई ऋण अथवा ऋण की प्रकृति में अग्रिम प्रदान किया है। अतः आदेश के खंड (iii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (iv) कंपनी ने दिए गए ऋण, किए गए निवेश तथा प्रदान की गई गारंटी एवं प्रतिभूतियों के संबंध में, जहाँ लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- (v) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और न ही ऐसी कोई राशि स्वीकार की है जिसे जमा माना जाता हो। इसलिए, आदेश के खंड (v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (vi) कंपनी के व्यवसाय/गतिविधियों की प्रकृति को देखते हुए CARO 2020 के खंड (vi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

- (vii) वैधानिक देय राशि के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:
- कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य भौतिक सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है। वर्ष के दौरान कंपनी के संचालन ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं हुई।
 - 31 मार्च, 2026 तक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि जिस तारीख से वे देय हो छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है।
 - उप-खंड (a) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक देय बकाया नहीं है, जिसे 31 मार्च, 2026 तक विवादों के कारण जमा नहीं किया गया है।
- (viii) वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में ऐसी पूर्व में अघोषित आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं हुआ है, जिसे समर्पित या आय के रूप में घोषित किया गया हो।
- (ix) a. हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या उधार की पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।
- b. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- c. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए सावधि ऋण का उपयोग कंपनी द्वारा उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया था जिनके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।
- d. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।
- e. वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई सहायक या सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं था और इसलिए, आदेश के खंड (ix) (e) और (f) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (x) a. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड (x) (a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- b. वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों का कोई प्राथमिकता-आधारित आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड (x) (b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xi) a. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी और कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई और न ही रिपोर्ट की गई है।
- b. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक अधिनियम की धारा 143(12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट, कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अनुसार निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के समक्ष दाखिल नहीं की गई है।
- c. प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।
- (xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- (xiii) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेन-देन के संबंध में, जहाँ लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन का विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों आदि में प्रकट किया गया है।
- (xiv) a. हमारी राय में, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
b. हमने अपनी लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करते समय वर्ष के दौरान कंपनी को जारी की गई तथा 31 मार्च 2026 तक की अवधि को शामिल करने वाली आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।
- (xv) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- IA के अंतर्गत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड (xvi)(a), (b) और (c) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xvii) कंपनी को हमारे द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय वर्ष तथा उसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।
- (xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।
- (xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की आयु-विश्लेषण एवं उनकी वसूली की अपेक्षित तारीखों तथा वित्तीय दायित्वों के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न अन्य जानकारी तथा निदेशक मंडल एवं प्रबंधन की योजनाओं के संबंध में हमारी जानकारी और मान्यताओं के समर्थन में साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, ऐसा कोई तथ्य हमारे संज्ञान में नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जिससे यह संकेत मिले कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख को मौजूद अपने दायित्वों को उनकी देय तिथि पर, बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाले सभी दायित्वों का कंपनी द्वारा उनकी देय तिथि पर भुगतान कर दिया जाएगा।
- (xx) कंपनी का शुद्ध मूल्य पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक नहीं था, या एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार नहीं था या तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ नहीं था और इसलिए, अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं हैं। इसलिए, आदेश के खंड (xx) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

केएमजीएस और एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(पंजीकरण संख्या 4730N)

ह/-

जगह: नई दिल्ली
दिनांक: 18.08.2026

प्रमोद कुमार कपूर
साझेदार

(सदस्यता संख्या 082424)

UDIN: 26082424TPQFRF7792

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक सी

(हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

- i. माल और सेवाओं की बिक्री से देय ऋणों की राशि वित्तीय विवरणों के नोट 16 में प्रकट की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋण को वसूली के लिए संदिग्ध नहीं माना जाता है।
- ii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में उपलब्ध नकदी का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं देखी गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई निवेश प्रतिभूतियां नहीं हैं।
- iii. 31 मार्च, 2026 को संपत्ति और देनदारियों का विवरण, कंपनी के 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।
- iv. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता हो।
- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।

केएमजीएस और एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(पंजीकरण संख्या 4730N)

ह /—

प्रमोद कुमार कपूर

साझेदार

(सदस्यता संख्या 082424)

UDIN: 26082424TPQFRF7792

जगह: नई दिल्ली
दिनांक: 18.08.2026

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च 2026 को आर्थिक चिट्ठा

A. समता एवं दायित्व	नोट सं	31 मार्च 2026 को स्थिति		31 मार्च 2025 को स्थिति	
		(राशि लाख रुपयों में)		(राशि लाख रुपयों में)	
1. अंशधारकों का कोष					
(a) अंश पूंजी	3	830.60		680.12	
(b) संचित एवं अधिशेष	4	742.82		745.62	
		1,573.42		1,425.74	
2. आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि		—		8.97	
3. स्थगित अनुदान (Deferred Grant)	5	713.14		639.82	
4. गैर-चालू दायित्व					
(a) दीर्घकालिक दायित्व	6	407.58		320.75	
(b) स्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	12	7.51		4.86	
(c) अन्य दीर्घकालिक दायित्व	7	425.71		357.95	
(d) दीर्घकालिक प्रावधान	8	16.48		12.41	
		857.28		695.97	
5. चालू दायित्व					
(a) व्यापारिक देनदारियां	9				
(i) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		99.49		135.82	
(ii) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		1,119.08		941.35	
(b) अन्य चालू दायित्व	10	79.61		156.28	
		1,298.17		1,233.45	
योग		4,442.01		4,003.95	
B. संपत्तियाँ					
1. गैर चालू संपत्तियाँ					
(a) संपत्ति, प्लांट और उपकरण और अमूर्त संपत्तियाँ					
(i) संपत्ति, प्लांट और उपकरण	11a	1,323.43		1,187.96	
(ii) अमूर्त संपत्तियाँ	11b	4.80		9.46	
(iii) प्रगति अधिन पूंजीगत कार्य	11c	159.08		14.36	
		1,487.31		1,211.78	
(b) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	13	73.65		63.87	
(c) अन्य गैर चालू संपत्तियाँ	14	5.20		5.20	
		1,566.15		1,280.84	
2. चालू संपत्तियाँ					
(a) स्टॉक	15	222.05		248.21	
(b) व्यापारिक लेनदारियाँ	16	1,027.33		838.71	
(c) रोकड़ एवं बैंक शेष	17	1,560.57		1,567.35	
(d) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	18	21.43		19.16	
(e) अन्य चालू संपत्तियाँ	19	44.48		49.69	
		2,875.86		2,723.11	
योग		4,442.01		4,003.95	

संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा हैं।
हमारी रिपोर्ट के सन्दर्भ में

वास्ते केएमजीएस एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म का पंजीकरण नं. 4730N)

प्रमोद कुमार कपूर
पार्टनर
एम.नं. 82424

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.08.2026

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

नरसा कुंवर
अध्यक्ष
DIN : 09691291

सीएस जैसराज
कंपनी सचिव
एम.नं. A42206

स्थान : उदयपुर
दिनांक : 18.08.2026

लक्ष्मी कुमारी चौबीसा
निदेशक
DIN : 09150409

हरिश्च जैन
प्रबंधक
वित्त एवं लेखा

धर्मेन्द्र कुमार
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN : 08122632

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि का विवरण

	नोट सं	31 मार्च 2026 समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)	31 मार्च 2025 समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)
1. व्यवसाय से आय	20	29,531.35	22,893.75
2. अन्य आय	21	110.53	113.04
3. कुल आय (1+2)		29,641.88	23,006.80
4. व्यय			
(a) उपभोग की गई सामग्री की लागत	22	103.73	50.15
(a) व्यापारिक वस्तुओं की खरीद	23	27,299.74	21,168.73
(b) तैयार माल और स्टॉक-इन-ट्रेड में परिवर्तन	24	27.46	(84.68)
(c) कर्मचारियों लाभों संबंधी व्यय	25	466.96	429.41
(d) वित्त लागत	26	5.70	26.05
(e) मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय	11	88.74	64.04
(f) अन्य व्यय	27	1,599.90	1,276.22
कुल व्यय		29,592.22	22,929.92
5. कर पूर्व लाभ (3-4)		49.67	76.87
6. कर व्यय			
(a) चालू कर		9.00	15.60
(b) स्थगित कर प्रभार / (क्रेडिट)		2.65	16.23
शुद्ध कर व्यय		11.65	31.83
7. वर्ष के लिए लाभ (5-6)		38.02	45.05
8. समता अंश पर आय			
(अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹100)			
(a) मूल	32	5.29	7.41
(b) डायल्यूटेड		5.29	7.40

संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा हैं।
हमारी रिपोर्ट के सन्दर्भ में

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

वास्ते केएमजीएस एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म का पंजीकरण नं. 4730N)

प्रमोद कुमार कपूर
पार्टनर
एम.नं. 82424

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.08.2026

नरसा कुंवर
अध्यक्ष
DIN : 09691291

सीएस जैसराज
कंपनी सचिव
एम.नं. A42206

स्थान : उदयपुर
दिनांक : 18.08.2026

लक्ष्मी कुमारी चौबीसा
निदेशक
DIN : 09150409

हरिश्चंद्र जैन
प्रबंधक
वित्त एवं लेखा

धर्मेन्द्र कुमार
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN : 08122632

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

	31 मार्च 2026 समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)	31 मार्च 2025 समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)
A. व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
कर से पूर्व लाभ	49.67	76.87
समायोजन के लिये:		
वित्त लागत — उधार पर ब्याज व्यय	5.70	25.95
ब्याज से आय	(93.00)	(77.53)
मूल्य ह्रास तथा क्षति संबंधी व्यय	88.74	64.04
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व व्यवसायिक लाभ	51.10	89.34
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन :		
स्टॉक में (वृद्धि)/कमी	26.16	(85.15)
व्यापारिक लेनदारियों में (वृद्धि)/कमी	(188.63)	2,395.23
अन्य गैर चालू संपत्तियों (वृद्धि)/कमी	—	—
अल्पकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(2.27)	2.45
अन्य चालू संपत्तियों (वृद्धि)/कमी	0.00	0.03
अन्य दीर्घकालीन दायित्व में वृद्धि/(कमी)	67.76	161.05
व्यापारिक देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	141.40	474.35
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	4.07	2.36
अन्य चालू दायित्वों में वृद्धि/(कमी)	(67.87)	(245.21)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न/(उपयोग) रोकड़	31.73	2,794.46
शुद्ध आय कर (भुगतान/रिफंड)	(18.78)	(20.11)
व्यवसायिक गतिविधियों से उत्पन्न/(उपयोग) शुद्ध रोकड़ प्रवाह (A)	12.95	2,774.34
B. निवेशकीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
बैंक शेष में कमी/(वृद्धि) को रोकड़ और रोकड़ तुल्य नहीं माना गया	(76.78)	282.94
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर पूंजीगत व्यय (पूँजी का शुद्ध अनुदान प्राप्त)	(299.76)	(367.30)
प्राप्त ब्याज	98.21	50.72
निवेशकीय गतिविधियों में (उपयोग) / से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह (B)	(278.33)	(33.65)
C. वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
शेयर पूंजी के निर्गमन से प्राप्ति	141.51	81.78
अंश आवेदन राशि से प्राप्तियां	—	8.97
कार्यशील पूंजी उधार में कमी/(वृद्धि)	—	(2,763.88)
लाभांश का भुगतान	(40.81)	(47.51)
दीर्घकालीन उधारियों से प्राप्त राशि (पुनर्भुगतान के बाद शुद्ध)	86.83	41.75
वित्त लागत भुगतान	(5.70)	(49.77)
वित्तीय गतिविधियों में उपयोग/से उत्पन्न शुद्ध रोकड़ (C)	181.83	(2,728.66)
रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में शुद्ध (कमी)/वृद्धि (A+B+C)	(83.55)	12.03
वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	182.84	170.81
वर्ष के समापन पर रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	99.29	182.84
रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में सम्मिलित है:		
बैंक शेष:		
चालू खाते	63.12	69.31
बचत खाते	36.16	113.53
जमा खाते	—	—
रोकड़ प्रवाह विवरण के अनुसार रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य	99.28	182.84
जोड़ें: बैंक शेष जिसे रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता है	1,459.91	1,288.25
जोड़ें: निर्धारित खातों में — अदत लाभांश खाता	1.20	1.05
जोड़ें: निर्धारित खातों में — JICA खाता	0.18	95.20
रोकड़ एवं बैंक शेष बैलेंसशीट के अनुसार (नोट 17)	1,560.57	1,567.35

संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा हैं। हमारी रिपोर्ट के सन्दर्भ में

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

वास्ते केएमजीएस एवं एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म का पंजीकरण नं. 4730N)

प्रमोद कुमार कपूर

पार्टनर
एम.नं. 82424स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.08.2026

नरसा कुंवर

अध्यक्ष
DIN : 09691291

सीएस जैसराज

कंपनी सचिव
एम.नं. A42206स्थान : उदयपुर
दिनांक : 18.08.2026

लक्ष्मी कुमारी चौबीसा

निदेशक
DIN : 09150409

हरिश्च जैन

प्रबंधक
वित्त एवं लेखा

धर्मेन्द्र कुमार

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN : 08122632

नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

1. कॉर्पोरेट जानकारी

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") का निगमन दिनांक 21 मार्च, 2016 को कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के अंतर्गत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (CIN: U01122RJ2016PTC049656) के रूप में किया गया था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य मुख्यतः अपने सदस्यों के दूध एवं दुग्ध उत्पादों का संग्रहण, क्रय एवं प्रसंस्करण करना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रजनन, पशु आहार/चारा, पशु चिकित्सा तथा अन्य तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएँ अपने सदस्यों को उपलब्ध कराना तथा इनसे संबंधित या आनुषंगिक सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना है। कंपनी राजस्थान के पाली, उदयपुर एवं सिरोही जिलों के ग्रामों में स्थापित दूध संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों से सीधे दूध का संग्रहण करती है तथा विभिन्न डेयरियों को उसका विक्रय करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी घी का निर्माण करती है तथा पशु आहार एवं खनिज मिश्रण के व्यापार का भी संचालन करती है।

2. प्रमुख लेखांकन नीतियाँ

कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रमुख लेखांकन नीतियाँ निम्नानुसार हैं:

a. लेखांकन का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (Indian GAAP) के अनुसार तैयार किए गए हैं, ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के अंतर्गत उत्पादक कंपनियों पर लागू प्रावधानों को अधिसूचित किया तथा उत्पादक कंपनियों पर लागू "उत्पादक कंपनी नियम, 2021 भी अधिसूचित किए। ये वित्तीय विवरण उपार्जन (Accrual) आधार पर तथा ऐतिहासिक लागत के सिद्धांत के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों की तैयारी में अपनाई गई लेखांकन नीतियाँ पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अनुरूप एवं सुसंगत हैं।

b. अनुमानों का उपयोग

भारतीय सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (Indian GAAP) के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन द्वारा ऐसे अनुमान एवं मान्यताएँ अपनाई जाती हैं, जिनका प्रभाव वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई परिसंपत्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त आय एवं व्ययों पर पड़ता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के मध्य उत्पन्न अंतर को उस लेखांकन अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसे परिणाम ज्ञात होते हैं अथवा वास्तविक रूप से उत्पन्न होते हैं।

c. नकद एवं नकद समतुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के लिये)

नकद में हाथ में उपलब्ध नकदी तथा बैंकों में मांग जमा (Demand Deposits) शामिल हैं। नकद समतुल्य से आशय ऐसे अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेशों से है, जिनकी मूल परिपक्वता (Original Maturity) अधिग्रहण की तिथि से तीन माह या उससे कम होती है, जिन्हें आसानी से ज्ञात राशि की नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है।

d. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि (Indirect Method) के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें

असाधारण मदों एवं कर से पूर्व के लाभ/(हानि) को गैर-नकद प्रकृति के लेन-देन के प्रभावों तथा पूर्व अथवा भावी अवधियों से संबंधित नकद प्राप्तियों या भुगतानों के स्थगन (Deferrals) अथवा उपार्जन (Accruals) के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर परिचालन गतिविधियों, निवेश गतिविधियों तथा वित्तपोषण गतिविधियों से संबंधित नकदी प्रवाह के रूप में पृथक-पृथक वर्गीकृत किया गया है।

e. राजस्व की मान्यता

विक्रय से प्राप्त राजस्व को, विक्रय वापसी एवं व्यापारिक छूट घटाने के पश्चात, उस समय मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं के स्वामित्व से संबंधित प्रमुख जोखिम एवं लाभ क्रेता को हस्तांतरित हो जाते हैं, जो सामान्यतः ग्राहकों को वस्तुओं की आपूर्ति के समय होता है।

f. अन्य आय

जमाओं (Deposits) पर अर्जित ब्याज आय को उपार्जन आधार (Accrual Basis) पर मान्यता दी जाती है।

g. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियाँ

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों को उनकी लागत पर, संचित मूल्यह्रास तथा परिशोधन, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की लागत में उनकी क्रय कीमत (व्यापारिक छूट एवं रियायतों को घटाने के पश्चात), आयात शुल्क एवं अन्य कर (जो बाद में कर प्राधिकरणों से वसूल योग्य नहीं हैं), परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग हेतु तैयार करने में सीधे संबंधित व्यय, अन्य आनुषंगिक व्यय तथा ऐसी योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित उधार लागत, उस तिथि तक जब परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग हेतु तैयार हो जाती है, सम्मिलित होती है। क्रय के पश्चात संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों पर किया गया व्यय केवल उसी स्थिति में पूंजीकृत किया जाता है, जब उससे संबंधित परिसंपत्ति से भविष्य में प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ उसकी पूर्व निर्धारित कार्य-निष्पादन क्षमता से अधिक हो जाएँ।

अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्तियों को उनकी अधिग्रहण लागत पर, संचित परिशोधन तथा हानियों, यदि कोई हो को घटाकर प्रदर्शित किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभावित हो कि उससे संबंधित भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा उसकी लागत का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके। अमूर्त परिसंपत्तियों की मूल्यह्रास राशि को उनकी अनुमानित उपयोगी आयु के दौरान सीधी रेखा विधि (Straight Line Method & SLM) के आधार पर आवंटित किया जाता है।

जहाँ यह युक्तिसंगत रूप से अनुमानित हो कि सॉफ्टवेयर का उपयोगी जीवन दीर्घकालिक है, वहाँ कंपनी सॉफ्टवेयर पर किए गए व्यय का पूंजीकरण करती है। सॉफ्टवेयर का परिशोधन (Amortization) प्रबंधन द्वारा अनुमानित तीन वर्ष की उपयोगी आयु के आधार पर किया जाता है।

h. पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य

जो परिसंपत्तियाँ अभी उपयोग के लिए तैयार नहीं हुई हैं, उन्हें उनकी लागत पर प्रदर्शित किया जाता है। इस लागत में प्रत्यक्ष व्यय, संबंधित आनुषंगिक व्यय तथा उनसे संबंधित उधार पर देय ब्याज शामिल होता है।

i. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि के आधार पर प्रदान किया गया है। परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु का निर्धारण तकनीकी परामर्श के आधार पर किया गया है, जिसमें परिसंपत्ति की प्रकृति, उसके अनुमानित उपयोग, परिचालन की स्थिति, पूर्व प्रतिस्थापन का अनुभव, संभावित तकनीकी परिवर्तन, निर्माता द्वारा प्रदान की गई वारंटी तथा अनुरक्षण सहायता आदि कारकों को ध्यान में रखा गया है।

मूल्यह्रास की गणना हेतु परिसंपत्तियों की निम्नलिखित उपयोगी आयु (Useful Life) निर्धारित की गई है:

परिसंपत्ति का विवरण	उपयोगी आयु (वर्षों में)
फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	10 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	4 एवं 10 वर्ष
कंप्यूटर (सॉफ्टवेयर सहित)	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3 वर्ष

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उनके पूंजीकरण/जोड़े जाने की तिथि से आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

j. स्टॉक (Inventories)

स्टॉक में कच्चा माल एवं पैकिंग सामग्री, तैयार माल तथा स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स सम्मिलित हैं। स्टॉक का मूल्यांकन, जहाँ आवश्यक हो, अप्रचलन एवं अन्य संभावित हानियों के लिए उपयुक्त प्रावधान करने के पश्चात, लागत अथवा शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो कम हो, उस पर किया जाता है। स्टॉक की लागत का निर्धारण प्रथम आगतदृष्टिकोण निर्गत पद्धति के अनुसार किया जाता है। लागत में भंडार को उसकी वर्तमान स्थिति एवं स्थान तक लाने में किए गए सभी प्रत्यक्ष एवं संबंधित व्यय सम्मिलित होते हैं। तैयार माल की लागत में उत्पादन संबंधी उपयुक्त अप्रत्यक्ष व्ययों का आनुपातिक हिस्सा भी शामिल किया जाता है।

k. अनुदान (Grants)

सरकारी अनुदानों एवं सब्सिडी को तभी मान्यता दी जाती है, जब यह युक्तिसंगत आश्वासन हो कि कंपनी उनसे संबंधित सभी शर्तों का पालन करेगी तथा उक्त अनुदान/सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी। मूल्यह्रास योग्य संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण से संबंधित सरकारी अनुदानों को स्थगित अनुदान के रूप में मान्यता दी जाती है। ऐसे स्थगित अनुदान को संबंधित परिसंपत्ति की उपयोगी आयु के दौरान व्यवस्थित एवं तर्कसंगत आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। अर्थात्, ऐसे अनुदानों से क्रय की गई परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास की राशि के समतुल्य भाग को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है तथा लाभ एवं हानि विवरण में मूल्यह्रास व्यय में कमी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

राजस्व स्वरूप के सरकारी अनुदानों एवं सब्सिडी को उन अवधियों में आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिन अवधियों में वे उन संबंधित व्ययों की क्षतिपूर्ति करते हैं, जिनके लिए वे प्रदान किए गए हैं। ऐसे अनुदानों को व्यवस्थित आधार पर संबंधित व्यय के विरुद्ध समायोजित करते हुए वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित किया जाता है।

l. कर्मचारी लाभ (Employee Benefits)

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी तथा प्रतिपूरित अवकाश सम्मिलित हैं।

a. अंशदायी परिभाषित योजनाएँ (Defined Contribution Plans)

कंपनी द्वारा भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा में किए गए अंशदान को अंशदायी परिभाषित योजना माना जाता है और इन योजनाओं के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा सेवाएँ प्रदान किए जाने के साथ-साथ, कंपनी द्वारा देय अंशदान की राशि को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

b. परिभाषित लाभ योजनाएँ (Defined Benefit Plans)

ग्रेच्युटी को परिभाषित लाभ योजना माना जाता है। ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान बैलेंस शीट की तिथि पर किए गए बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि पर

प्रोजेक्ट डेड यूनिट क्रेडिट विधि के अनुसार निर्धारित अतिरिक्त देयता को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। बीमांकिक लाभ एवं हानियों को भी लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

c. अल्पकालीन कर्मचारी लाभ (Short-term Employee Benefits)

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले देय अल्पकालीन कर्मचारी लाभों की अछूटित राशि को उसी वित्तीय वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएँ प्रदान करते हैं। इन लाभों में कार्य निष्पादन प्रोत्साहन तथा प्रतिपूरित अवकाश शामिल हैं, जिनका भुगतान उस लेखा अवधि की समाप्ति के बाद बारह माह के भीतर होने की अपेक्षा होती है, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवाएँ प्रदान की हैं।

d. दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ (Long-term Employee Benefits)

ऐसे प्रतिपूरित अवकाश जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएँ प्रदान किए जाने वाली अवधि की समाप्ति के बाद बारह माह के भीतर होने की अपेक्षा नहीं होती, उन्हें बैलेंस शीट की तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है।

m. प्रति शेयर आय (Earnings Per Share)

मूल प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के दौरान प्रचलित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। ह्रासित प्रति शेयर आय की गणना कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान प्रचलित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जिसमें सभी संभावित ह्रासकारी इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजन किया जाता है। तथापि, जहाँ ऐसे संभावित इक्विटी शेयरों का प्रभाव प्रति शेयर आय को बढ़ाने वाला हो, वहाँ उन्हें गणना में शामिल नहीं किया जाता।

n. आय पर कर (Taxes on Income)

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर सम्मिलित हैं। वर्तमान कर वह कर राशि है जो संबंधित वित्तीय वर्ष की करयोग्य आय पर आयकर अधिनियम, 1961 तथा अन्य लागू कर कानूनों के प्रावधानों एवं लागू कर दरों के अनुसार देय होती है।

स्थगित कर की मान्यता समयगत अंतरों पर की जाती है, जो लेखांकन आय एवं करयोग्य आय के मध्य उत्पन्न होते हैं तथा एक या अधिक आगामी अवधियों में प्रत्यावर्तित होने में सक्षम होते हैं। स्थगित कर का मापन रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कर कानूनों के आधार पर किया जाता है। सभी समयगत अंतरों के लिए स्थगित कर देयता को मान्यता दी जाती है। अवशोषित न हुई मूल्यह्रास एवं अग्रेषित कर हानियों के अतिरिक्त अन्य समयगत अंतरों से संबंधित स्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उसी सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहाँ यह युक्तिसंगत रूप से सुनिश्चित हो कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध इनका उपयोग किया जा सके। किन्तु जहाँ अवशोषित न हुई मूल्यह्रास अथवा अग्रेषित कर हानियाँ विद्यमान हों, वहाँ स्थगित कर परिसंपत्ति की मान्यता केवल तभी दी जाती है, जब यह आभासी रूप से सुनिश्चित हो कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध ऐसी परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सके। यदि स्थगित कर परिसंपत्तियाँ एवं स्थगित कर देयताएँ एक ही कर कानून के अंतर्गत लगने वाले आयकर से संबंधित हों तथा कंपनी को उनके समायोजन का विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो, तो उन्हें परस्पर समायोजित किया जाता है।

o. उधार लागत (Borrowing Cost)

उधार लागत में उधार पर देय ब्याज तथा उससे संबंधित अन्य सहायक व्यय सम्मिलित होते हैं। योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण अथवा निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित उधार लागत, जो ऐसी

परिसंपत्ति के निर्माण/विकास संबंधी गतिविधियों के प्रारंभ से लेकर उसके पूंजीकरण की तिथि तक की अवधि से संबंधित हो, उसे उस परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लागतों को जिस वित्तीय वर्ष में वे व्ययित होती हैं, उसी वर्ष लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

p. परिसंपत्तियों की क्षति (Impairment of Assets)

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के वहन मूल्य की समीक्षा करती है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कहीं उन परिसंपत्तियों के मूल्य में ह्रास होने का कोई संकेत तो नहीं है। यदि ऐसा कोई संकेत उपलब्ध होता है, तो मूल्यह्रास हानि की सीमा निर्धारित करने के लिए संबंधित परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो, वह मानी जाती है। उपयोग मूल्य का निर्धारण करते समय परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग तथा उसके अंतिम निपटान से अपेक्षित भावी नकदी प्रवाहों को ऐसी पूर्व-कर छूट दर से वर्तमान मूल्य पर छूटित किया जाता है, जो धन के समय मूल्य तथा परिसंपत्ति-विशिष्ट जोखिमों के संबंध में वर्तमान बाजार आकलनों को प्रतिबिंबित करती है। मूल्यह्रास हानि की किसी भी प्रत्यावृत्ति को लाभ एवं हानि विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

q. खंडीय जानकारी (Segment Information)

व्यवसाय खंड (प्राथमिक)

कंपनी खंडों की पहचान राजस्व के प्रमुख स्रोत, जोखिम एवं प्रतिफल की प्रकृति तथा अपनी आंतरिक संगठनात्मक एवं प्रबंधन संरचना के आधार पर करती है। कंपनी मुख्यतः दूध एवं दुग्ध उत्पादों के संग्रहण, क्रय एवं विक्रय के व्यवसाय में संलग्न है। अतः कंपनी ने इसे एकल व्यवसाय खंड माना है।

r. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (Provisions and Contingencies)

जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो जाता है तथा उस दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना हो और उसकी राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके, तब उसके लिए प्रावधान मान्यता प्राप्त किया जाता है। कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर अन्य प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूटित नहीं किया जाता तथा उन्हें बैलेंस शीट की तिथि पर दायित्व के निपटान हेतु आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान के अनुरूप समायोजित किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। आकस्मिक देयताओं का खुलासा लेखों पर टिप्पणियों में किया जाता है।

s. पट्टे (Leases)

ऐसी पट्टा व्यवस्थाएँ, जिनमें परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित अधिकांश जोखिम एवं प्रतिफल पट्टादाता (Lessor) के पास ही रहते हैं, परिचालन पट्टा के रूप में मान्यता प्राप्त करती हैं। परिचालन पट्टों के अंतर्गत देय पट्टा किराया (Lease Rent) को सीधी रेखा विधि के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

t. परिचालन चक्र (Operating Cycle)

कंपनी के उत्पादों/व्यावसायिक गतिविधियों की प्रकृति तथा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से लेकर उनके नकद अथवा नकद समतुल्य में परिवर्तित होने के सामान्य समय को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को चालू तथा गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना परिचालन चक्र 12 माह निर्धारित किया है।

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

Note 3 अंश पूंजी

	31 मार्च 2026 को स्थिति		31 मार्च 2025 को स्थिति	
	शेयरों की संख्या	राशि लाखों रुपये में	शेयरों की संख्या	राशि लाखों रुपये में
(a) अधिकृत अंश पूंजी (प्रति अंश 100 रुपये समता अंश)	15,00,000	1,500.00	8,00,000	800.00
(b) जारी की गई, सदस्यों द्वारा ली गई तथा पूर्ण प्रदत्त अंश पूंजी (प्रति अंश 100 रुपये समता अंश)	8,30,598	830.60	6,80,119	680.12

नीचे नोट (i) से (iv) देखें

नोट्स:

(i) अंश से सम्बंधित अधिकार, प्राथमिकताएँ और प्रतिबंध

कम्पनी के पास 100 रुपये अंकित मूल्य के एक ही श्रेणी के अंश हैं। कम्पनी अंतर्नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य को आवश्यक शर्तें पूर्ण करने पर एक वोट देने का अधिकार है। सदस्य कम्पनी अंतर्नियमों के अनुसार समित आय (लाभांश) और बोनस के हकदार हैं।

कम्पनी के परिसमापन की दशा में, समता अंशधारकों को अधिकार होगा कि वे सम्पूर्ण अधिमानी राशियों के वितरण के बाद शेष सम्पत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ii) वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया राशि का मिलान:

	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
	अंशों की संख्या	राशि लाख रु. में	अंशों की संख्या	राशि लाख रु. में
वर्ष की प्रारम्भ में बकाया अंश	6,80,119	680.12	5,93,843	593.84
वर्ष के दौरान जारी किए गए अंश (निरस्त और पुनः जारी किये गए अंशों के समायोजन के बाद)	1,50,479	150.48	86,276	86.28
वर्ष के अंत में बकाया अंश	8,30,598	830.60	6,80,119	680.12

(iii) कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 (अब कम्पनी अधिनियम, 2013 का अध्याय XXIA) के भाग IXA के तहत 'प्रोड्यूसर कंपनी' के रूप में पंजीकृत है और किसी भी सदस्य के पास कम्पनी की 5% या अधिक अंश पूंजी नहीं है।**(iv) वर्ष के दौरान या वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के 5 वर्षों के दौरान नकद या बोनस के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए कोई अंश जारी नहीं किये गये हैं।****(v) प्रमोटर्स की अंशधारिता का विवरण**

क्र. संख्या	प्रमोटर्स का नाम	1 अप्रैल, 2025 को अंशों की संख्या	वर्ष के दौरान परिवर्तन	31 मार्च, 2026 को अंशों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत में परिवर्तन
1	रेखा	30	—	30	0.00	—
2	कृष्णा कुँवर	13	—	13	0.00	—
3	पुष्पा कुँवर	29	—	29	0.00	—
4	कन्या	82	—	82	0.01	—
5	भावना कुमारी	48	—	48	0.01	—
6	लक्ष्मी कुमारी चौबीसा	9	1	10	0.00	11.11
7	रंजना कुँवर राठौड़	58	—	58	0.01	—
8	माफी देवी	17	—	17	0.00	—
9	नरसा कुँवर	17	7	24	0.00	41.18
10	संतोष चौधरी	25	—	25	0.00	—
11	ललिता जाट*	68	2	70	0.01	2.94
12	गुलाबी*	90	3	93	0.01	3.33
13	शांता पटेल*	34	1	35	0.00	2.94
14	सज्जन कुँवर*	72	2	74	0.01	2.78
Note* दिनांक 26.09.2025 से निदेशक के रूप में नियुक्त।						

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग हैं

Note 4: संचित एवं अधिशेष

	31 मार्च 2026 को स्थिति (राशि लाखों रुपये में)	31 मार्च 2025 को स्थिति (राशि लाखों रुपये में)
(a) सामान्य संचय		
प्रारंभिक शेष	704.80	700.57
जोड़ें: लाभ एवं हानि विवरण के अधिशेष से स्थानांतरित राशि	38.02	4.23
अंतिम शेष	742.82	704.80
(b) लाभ और हानि विवरण में अधिशेष		
प्रारंभिक शेष	40.81	47.51
जोड़ें: वर्ष में अर्जित लाभ	38.02	45.05
घटाएँ:		
(-) 31 मार्च 2024 को सदस्यों को अंतिम सिमित लाभ (लाभांश) (8 रुपये प्रति अंश)	—	47.51
(-) 31 मार्च 2025 को सदस्यों को अंतिम सिमित लाभ (लाभांश) (6 रुपये प्रति अंश)	40.81	—
सामान्य संचय में हस्तांतरित	38.02	4.23
अंतिम शेष	—	40.81
कुल (a) + (b)	742.82	745.62

Note 5: स्थगित अनुदान (Deferred Grant)

प्रारंभिक शेष	639.82	444.54
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान (नोट 33 देखें)	189.01	300.96
घटाएँ: पूंजीगत अनुदान से प्राप्त खरीदी गई संपत्तियों से संबंधित मूल्यहास (नोट 11 देखें)	115.69	105.68
अंतिम शेष	713.14	639.82

Note 6: दीर्घकालिन दायित्व

(a) एनडीडीबी से सुरक्षित सावधि ऋण	407.58	320.75
	407.58	320.75

Note:

- (i) NDDDB द्वारा ₹420.49 लाख का ऋण दिनांक 11.07.2023 को स्वीकृत किया गया था। उक्त ऋण की प्रथम किश्त ₹138.00 लाख दिनांक 11.01.2024 को, द्वितीय किश्त ₹141.00 लाख दिनांक 11.03.2024 को तथा तृतीय किश्त ₹41.75 लाख दिनांक 22.07.2024 को प्राप्त हुई। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण की चतुर्थ किश्त ₹88.64 लाख दिनांक 31.07.2025 को तथा पंचम एवं अंतिम किश्त ₹11.10 लाख दिनांक 20.03.2026 को प्राप्त हुई। उक्त ऋण कंपनी की वर्तमान एवं भावी चल परिसंपत्तियों (Movable Assets) पर हाइपोथेकेशन (Hypothecation) के माध्यम से सुरक्षित है तथा इस पर 1.50% प्रतिवर्ष अथवा समय-समय पर एनडीडीबी द्वारा अधिसूचित की जाने वाली ब्याज दर के अनुसार ब्याज देय होगा। यह ऋण प्रथम किश्त के निर्गमन (First Release) की तिथि से मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि (Moratorium Period) सहित 10 वर्ष में चुकाया जाना है। मूलधन का पुनर्भुगतान मासिक किस्तों में किया जाएगा।

Note 7: अन्य दीर्घकालिन दायित्व

(a) सहायक एवं अन्य से जमा प्रतिभूति	425.71	357.95
	425.71	357.95

Note 8: दीर्घकालिन प्रावधान

(a) कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधान		
(i) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान (फंड का शुद्ध रु. 28.15 लाख पिछले वर्ष रु. शून्य)	2.81	—
(ii) अनुपस्थिति के मुआवजे के लिए प्रावधान (फंड का शुद्ध रु. 28.63 लाख पिछले वर्ष रु. 18.82 लाख)	13.67	12.41
	16.48	12.41

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग हैं

	31 मार्च 2026 को स्थिति (राशि लाखों रुपये में)	31 मार्च 2025 को स्थिति (राशि लाखों रुपये में)
Note 9: व्यावसायिक देनदारियाँ		
(a) लघु उद्योगों एवं सूक्ष्म उद्योगों की कुल बकाया राशि (नोट 37 देखें)	99.49	135.82
(b) सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	1,119.08	941.35
	1,218.57	1,077.17

Note:

(i) *प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर, ऊपर बताए गए आपूर्तिकर्ताओं को छोड़कर एमएसएमईडी अधिनियम के तहत कोई भी आपूर्तिकर्ता पंजीकृत नहीं है। इसलिए कम्पनी के सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यमों को कोई भी राशि देय नहीं है।

(ii) व्यावसायिक देनदारियाँ समयानुसार अनुसूची

(राशि लाख रुपये में)

		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
क्रम संख्या	विवरण	बिल न किये गए देय	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i)	सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम						
	31 मार्च, 2026 तक	—	64.60	0.62	34.27	—	99.49
	31 मार्च, 2025 तक	—	101.55	34.27	—	—	135.82
(ii)	अन्य						
	31 मार्च, 2026 तक	—	1118.87	—	0.21	—	1119.08
	31 मार्च, 2025 तक	—	941.10	0.25	—	—	941.35
(iii)	विवादित बकाया—सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम						
	31 मार्च, 2026 तक	—	—	—	—	—	—
	31 मार्च, 2025 तक	—	—	—	—	—	—
(iii)	विवादित बकाया — अन्य						
	31 मार्च, 2026 तक	—	—	—	—	—	—
	31 मार्च, 2025 तक	—	—	—	—	—	—

Note 10: अन्य चालू दायित्व

(a) सदस्यों द्वारा अंशों के समर्पण के बदले देय*	2.83	3.18
(b) संवैधानिक प्रेषण (पीएफ और ईएसआईसी में योगदान, स्रोत पर कर कटौती, माल और सेवा कर आदि)	10.99	10.39
(c) ग्राहकों से अग्रिम	7.52	2.67
(d) कर्मचारियों को देय	56.69	49.38
(e) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद पर देय	0.37	9.17
(f) दावा न किये गए/अवैतनिक लाभांश	1.20	1.05
(g) एनडीडीबी से प्राप्त अनुदान (उपयोगिता के बाद) (नोट 33 देखें)	—	68.43
(h) मोबियस फाउंडेशन से प्राप्त अनुदान	—	12.00
	79.61	156.28

Note:

*कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZD के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के कुछ सदस्यों को उनके इक्विटी शेयर समर्पित (Surrender) करने के निर्देश दिए, क्योंकि ऐसे सदस्य कंपनी के अनुच्छेदों (Articles of Association) में निर्धारित सदस्यता की आवश्यक पात्रता बनाए रखने में असफल रहे। तदनुसार, 2,833 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष: 3,178 इक्विटी शेयर) ₹100 प्रति शेयर के सममूल्य (At Par) पर कंपनी को समर्पित किए गए। तत्पश्चात, उक्त समर्पित शेयरों को ₹100 प्रति शेयर के सममूल्य पर कंपनी के अन्य पात्र एवं सक्रिय सदस्यों को पुनः आवंटित (Re-issued) किया गया।

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

विवरण		सकल ब्लॉक			संचित मूल्य द्वारा और शक्ति				शुद्ध ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2025 को स्थिति	वृद्धि	निष्कासन	31 मार्च, 2026 को स्थिति	01 अप्रैल, 2025 को स्थिति	वर्ष के लिये	परिसंपत्तियों के निपटान पर समाप्त	31 मार्च, 2026 को स्थिति	31 मार्च, 2025 को स्थिति
(a) अमूर्त सम्पत्तियाँ	प्लांट एवं मशीनरी (पिछले वर्ष)	1,682.90 (902.99)	320.12 (779.91)	—	2,003.02 (1,682.90)	548.85 (402.68)	180.43 (146.17)	—	1,273.74 (1,134.05)	1,134.05
	लीजहोल्ड इम्प्लोयेमेंट्स (पिछले वर्ष)	10.62 (10.62)	—	—	10.62 (10.62)	227 (1.21)	1.06 (1.06)	—	7.28 (8.35)	8.35
	फर्नीचर एवं फिक्सचर (पिछले वर्ष)	40.75 (39.40)	1.96 (1.34)	—	42.71 (40.75)	19.38 (15.07)	4.41 (4.31)	—	23.79 (18.92)	21.36
	कार्यालय उपकरण (पिछले वर्ष)	23.60 (19.20)	1.96 (4.40)	—	25.57 (23.60)	13.16 (9.86)	3.18 (3.30)	—	16.34 (13.16)	10.44
	कम्प्यूटर्स (पिछले वर्ष)	52.99 (50.52)	9.68 (2.46)	—	62.67 (52.99)	39.23 (31.07)	9.18 (8.15)	—	48.41 (39.23)	13.76
	कुल (A)	1,810.85 (1,022.73)	333.73 (788.12)	—	2,144.58 (1,810.85)	622.90 (459.89)	198.26 (163.00)	—	1,323.43 (1,187.96)	1,187.96
	पिछले वर्ष									
	अमूर्त सम्पत्तियाँ (स्वयं उत्पन्न के अलावा)									
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (पिछले वर्ष)	36.22 (34.80)	1.52 (1.42)	—	37.74 (36.22)	27.08 (20.62)	5.92 (6.46)	—	33.00 (27.08)	9.13
	ट्रेडमार्क (पिछले वर्ष)	1.31 (1.31)	—	—	1.31 (1.31)	0.98 (0.72)	0.26 (0.26)	—	1.25 (0.98)	0.33
(b) कुल (B)		37.53 (36.11)	1.52 (1.42)	—	39.05 (37.53)	28.07 (21.35)	6.18 (6.72)	—	34.25 (28.07)	9.46
	पिछले वर्ष									

Notes:

(i) मूल्यहास और परिशोधन व्यय

31 मार्च, 2025 समाप्त वर्ष लिए	31 मार्च, 2025 समाप्त वर्ष लिए
(राशि लाख रुपये में)	(राशि लाख रुपये में)
मूर्त सम्पत्तियाँ	163.00
अमूर्त सम्पत्तियाँ	6.72
घटाएँ: अनुदान से खरीदी गई सम्पत्तियों से जुड़ा मूल्य हास	105.68
	64.04

31 मार्च, 2026 समाप्त वर्ष लिए	31 मार्च, 2026 समाप्त वर्ष लिए
(राशि लाख रुपये में)	(राशि लाख रुपये में)
मूर्त सम्पत्तियाँ	198.26
अमूर्त सम्पत्तियाँ	6.18
घटाएँ: अनुदान से खरीदी गई सम्पत्तियों से जुड़ा मूल्य हास	115.69
	88.74

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

(ii) पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई और उपरोक्त अनुसूची में शामिल संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है (नोट 33 देखें): (राशि लाखों रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक			संचित मूल्य द्वारा और क्षति			शुद्ध ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2025 को स्थिति	वृद्धि	निष्कासन	31 मार्च 2026 को स्थिति	01 अप्रैल, 2025 को स्थिति	परिसंपत्तियों के निपटान पर समाप्त	31 मार्च 2026 को स्थिति	31 मार्च 2025 को स्थिति
अमूर्त संपत्तियाँ								
प्लॉट एवं मशीनरी (मिछले वर्ष)	1,081.36 (675.37)	127.51 (405.99)	—	1,208.87 (1,081.36)	465.45 (364.67)	—	576.38 (465.45)	615.91
फर्नीचर एवं फिक्सचर (मिछले वर्ष)	33.47 (33.47)	0.11 (—)	—	33.58 (33.47)	17.87 (14.22)	—	21.52 (17.87)	15.60
कार्यालय उपकरण (मिछले वर्ष)	7.80 (7.80)	0.76 (—)	—	8.56 (7.80)	7.19 (6.60)	—	7.73 (7.19)	0.61
कम्प्यूटर्स (मिछले वर्ष)	27.83 (27.83)	1.63 (—)	—	29.46 (27.83)	27.32 (27.03)	—	27.89 (27.32)	0.51
अमूर्त संपत्तियाँ क्यूंटर सॉफ्टवेयर (मिछले वर्ष)	12.59 (12.59)	— (—)	—	12.59 (12.59)	12.59 (12.22)	—	12.59 (12.59)	0.00
Total कुल	1,163.06 (757.07)	130.01 (405.99)	—	1,293.07 (1,163.06)	530.42 (424.75)	—	646.11 (530.42)	632.64
(मिछले वर्ष)							646.96 (632.64)	

राशि लाखों रुपये में

(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर

विवरण	अवधि के लिए प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
सीडब्ल्यूआईपी-डीपीएमसीयू - अनुदान (मिछले वर्ष)	59.00 (7.18)	7.18 (—)	— (—)	— (—)	66.18 (7.18)
सीडब्ल्यूआईपी-डीपीएमसीयू - स्वामित्व (मिछले वर्ष)	85.71 (7.18)	7.18 (—)	— (—)	— (—)	92.89 (7.18)
कुल सीडब्ल्यूआईपी (मिछले वर्ष)	144.71 (14.36)	14.36 (—)	— (—)	— (—)	159.08 (14.36)

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

	31 मार्च 2026 को स्थिति (राशि लाखों रुपये में)	31 मार्च 2025 को स्थिति (राशि लाखों रुपये में)
Note 12: स्थगित कर संपत्तियाँ / (देयताएं) (शुद्ध)		
(i) स्थगित कर देनदारियाँ बनाने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:		
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों के बुक बैलेंस और टैक्स बैलेंस के बीच अंतर पर	13.80	10.88
(ii) स्थगित कर संपत्तियों का निर्माण करने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:		
(a) अनुपस्थिति का मुआवजा और ग्रेच्युटी का प्रावधान	4.15	3.12
(b) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B के तहत अस्वीकृति	2.14	2.90
शुद्ध स्थगित कर संपत्ति / (देयताएं)	(7.51)	(4.86)
Note 13: दीर्घकालिन ऋण और अग्रिम (असुरक्षित एवं उचित माने गए)		
(a) आयकर भुगतान (प्रावधानों का शुद्ध)	73.65	63.87
	73.65	63.87
Note 14: अन्य गैर-चालू सम्पत्तियाँ		
(a) प्रतिभूति जमाये	5.20	5.20
	5.20	5.20
Note 15: स्टॉक (लागत अथवा शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो कम हो)		
(a) तैयार माल	—	21.43
(b) स्टॉक-इन-ट्रेड	174.86	132.65
(c) स्टॉक-इन-ट्रेड (ट्रांजिट में)	42.94	91.19
(d) उपभोग्य	4.24	2.94
	222.05	248.21
Note 16: व्यावसायिक लेनदारियाँ (असुरक्षित एवं उचित माने गए)		
(a) बिल का भुगतान देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक समय से बकाया ऋण-सुरक्षित एवं उचित माने गए	26.49	26.53
(b) अन्य	1,000.84	812.17
	1,027.33	838.71
(ii) व्यावसायिक लेनदारियाँ की समयानुसार अनुसूची		

(राशि लाख रु में)

क्र.सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						कुल
		6 माह से कम	6 माह-1 वर्ष		1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
(i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य-उचित माने गए							
	31 मार्च, 2026 तक	1,000.84	0.33	—	26.16	—	—	1,027.33
	31 मार्च, 2025 तक	812.17	26.53	—	—	—	—	838.71
(ii)	अविवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध							
	31 मार्च, 2026 तक	—	—	—	—	—	—	—
	31 मार्च, 2025 तक	—	—	—	—	—	—	—
(iii)	विवादित व्यापार प्राप्य - उचित माने गए							
	31 मार्च, 2026 तक	—	—	—	—	—	—	—
	31 मार्च, 2025 तक	—	—	—	—	—	—	—
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध							
	31 मार्च, 2026 तक	—	—	—	—	—	—	—
	31 मार्च, 2025 तक	—	—	—	—	—	—	—

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग हैं

	31 मार्च 2026 को स्थिति (राशि लाखों रुपये में)	31 मार्च 2025 को स्थिति (राशि लाखों रुपये में)
Note 17: रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य		
(a) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य		
(i) बैंक में जमा:		
(a) चालू खातों में	63.12	69.31
(b) बचत खातों में	36.16	113.53
AS-3 के अनुसार रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य – रोकड़ प्रवाह विवरण	99.28	182.84

(b) अन्य बैंक शेष		
(i) जमा खातों में (मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक)	1,459.91	1,288.25
(ii) निर्धारित खातों में –		
अदत्त लाभांश खाता	1.20	1.05
JICA अनुदान खाता	0.02	87.08
JICA लोन खाता	0.16	8.11
	1,560.57	1,567.35

Note:

- (i) बैंकों के पास शेष राशि में रु. 759.28 लाख (पिछले वर्ष 497.33 लाख रुपये) की जमा राशि शामिल है। जिनकी परिपक्वता बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने से अधिक की परिपक्वता है।

	31 मार्च 2026 को स्थिति (राशि लाखों रुपये में)	31 मार्च 2025 को स्थिति (राशि लाखों रुपये में)
Note 18: अल्पावधि ऋण और अग्रिम		
(असुरक्षित एवं उचित माने गए)		
(a) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	1.78	6.91
(b) ग्रेजुटी फंड (देनदारी का शुद्ध रु. शून्य य पिछले वर्ष रु. 21.48 लाख)	—	1.78
(c) विक्रेताओं को अग्रिम	9.89	9.53
(d) पूर्वदत्त खर्च	6.49	0.94
(d) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) से प्राप्य अनुदान (टिप्पणी संख्या 33 देखें)	3.27	—
	21.43	19.16

Note 19: अन्य चालू संपत्तियां

(असुरक्षित एवं उचित माने गए)

(a) ब्याज अर्जित लेकिन बैंक जमा पर देय नहीं	44.32	49.53
(b) अन्य प्राप्तियां	0.16	0.16
	44.48	49.69

Note 20: व्यवसाय से आय

(a) उत्पादों की बिक्री	29,531.35	22,893.75
	29,531.35	22,893.75

विक्रय का विवरण

(i) निर्मित माल		
(a) घी की बिक्री	122.94	35.22
	122.94	35.22
(ii) व्यापारित माल		
(a) कच्चा दूध	28,275.18	21,892.22
(b) घी की बिक्री	113.78	122.51
(c) पशु-आहार एवं अन्य सामग्री की बिक्री	1,004.89	836.39
(d) अन्य बिक्री	14.55	7.41
	29,408.40	22,858.53
कुल	29,531.35	22,893.75

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए (राशि लाखों रुपये में)	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (राशि लाखों रुपये में)
Note 21: अन्य आय		
(a) ब्याज से आय		
(i) बैंक जमाओं पर	95.12	108.39
घटाएँ: अप्रयुक्त अनुदान पर	2.12	30.86
अर्जित ब्याज	93.00	77.53
(b) अन्य गैर-व्यवसायिक आय		
(i) सदस्यता शुल्क	5.18	7.81
(ii) दायित्व जिन्हें अब वापस चुकाने की आवश्यकता नहीं है।	—	23.96
(iii) विविध आय	12.35	3.75
कुल	110.53	113.04

* यह राशि भारत सरकार की “राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (National Programme for Dairy Development & NPDD)” की “डेयरी थ्रू कोऑपरेटिव्स (Dairy through Cooperatives)” केंद्रीय क्षेत्र योजना के घटक-बी (Component-B) के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) को वापस किए जाने वाले, पृथक नामित बचत खाते (Earmarked Savings Account) में रखे गए अप्रयुक्त अनुदान एवं ऋण निधियों पर अर्जित ब्याज से संबंधित है।

Note 22: उपभोग की गई सामग्री की लागत

कच्चा दूध

(a) प्रारंभिक स्टॉक	—	—
(b) जोड़ें: क्रय	92.20	43.43
(c) जोड़ें: घी रूपांतरण लागत	11.53	6.72
(c) घटाएँ: अंतिम स्टॉक	—	—
	103.73	50.15

Note 23: व्यापारित वस्तुओं की खरीद

(a) कच्चा दूध	24,909.75	19,240.19
(b) घी	100.82	75.93
(c) पशु-आहार एवं खनिज मिश्रण	854.85	706.39
(d) परिचालन व्यय	1,421.97	1,143.88
(e) अन्य	12.35	2.33
	27,299.74	21,168.73

Note 24: तैयार माल और स्टॉक-इन-ट्रेड में परिवर्तन

तैयार माल और स्टॉक-इन-ट्रेड में कमी/(वृद्धि)

(a) वर्ष के आरंभ में स्टॉक		
स्टॉक इन ट्रेड	132.65	68.28
तैयार माल	21.43	29.77
स्टॉक-इन-ट्रांजिट	91.19	62.53
	245.27	160.58
(b) वर्ष के अंत में स्टॉक		
स्टॉक इन ट्रेड	174.86	132.65
तैयार माल	—	21.43
स्टॉक-इन-ट्रांजिट	42.94	91.19
	217.80	245.27
स्टॉक में शुद्ध कमी/(वृद्धि)	27.46	(84.68)

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)
Note 25: कर्मचारी लाभ व्यय		
(a) वेतन और मजदूरी	381.69	360.87
(b) भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	27.12	25.05
(c) कर्मचारी कल्याण खर्च	58.14	43.49
	466.96	429.41

Note 26: वित्त लागत

(a) उधार पर ब्याज व्यय	5.70	25.95
(b) सांविधिक देय राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज	—	0.10
	5.70	26.05

Note 27: अन्य व्यय

(a) स्टॉक एवं स्पेयर की खपत	119.76	68.38
(b) पॉवर और ईंधन	2.42	2.60
(c) किराया	14.17	13.43
(d) छपाई और लेखन सामग्री	6.20	13.39
(e) मरम्मत और रख-रखाव — मशीनरी	38.99	2.03
(f) मरम्मत और रख-रखाव — अन्य	19.23	17.03
(g) माल दुलाई, अग्रेषण और वितरण खर्च	1,179.28	971.90
(h) बीमा शुल्क	1.05	1.45
(i) कानूनी एवं पेशेवर शुल्क	73.31	44.94
(j) लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक (नीचे नोट (i) देखें)	3.04	2.76
(k) यात्रा एवं परिवहन	66.15	72.79
(l) प्रशिक्षण खर्च	5.96	10.63
(m) उत्पादकता वृद्धि सेवाओं से संबंधित व्यय	19.75	9.41
(n) संचार खर्च	21.77	19.16
(o) बैठक और अभिविन्यास खर्च	11.85	7.39
(p) विविध व्यय	16.96	18.93
	1,599.90	1,276.22

Note:

(i) लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल है:

(a) वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	2.16	1.96
(b) टैक्स ऑडिट शुल्क	0.42	0.38
(c) उपर्युक्त पर टैक्स	0.46	0.42
	3.04	2.76

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

31 मार्च, 2026 को स्थिति
(राशि लाख रुपयों में)

31 मार्च, 2025 को स्थिति
(राशि लाख रुपयों में)

Note 28: आकस्मिक देनदारियाँ और प्रतिबद्धताएँ**A. आकस्मिक देनदारियाँ****(a) कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया**

31 मार्च 2026 तक कोई बकाया आकस्मिक देनदारियाँ नहीं हैं।

—

—

(b) प्रतिबद्धताएँ—

पूँजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और प्रदान नहीं की गई (भुगतान किए गए अग्रिमों का शुद्ध शून्य)।

—

—

Note 29

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के संबंध में, निदेशकों ने अपनी बैठक 18.08.2026 को अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों पर 58.14 लाख (7 रुपये प्रति शेयर) का भुगतान किया जाना है। इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसे वित्तीय विवरणों में देनदारी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित इक्विटी लाभांश पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों के सभी धारकों को देय है।

Note 30: कर्मचारी लाभ योजनाएँ**परिभाषित योगदान योजना**

कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि के रूप में परिभाषित योगदान योजना प्रदान करती है। भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) के पास जमा किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत निर्दिष्ट दर पर योगदान का भुगतान करते हैं।

कंपनी ने लाभ एवं हानि के विवरण में भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में अंशदान के लिए ₹ 23.54 लाख (पिछले वर्ष ₹ 20.93 लाख) की राशि मान्यता दी है।

परिभाषित लाभ योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित लाभ योजनाएँ प्रदान करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत लाभ सेवा के वर्षों तथा कर्मचारी के सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व के पारिश्रमिक पर आधारित होते हैं। ग्रेच्युटी योजना कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। ग्रेच्युटी योजना के मामले में, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC of India) द्वारा प्रशासित ट्रस्ट तथा आयकर प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित निधियों में योगदान करती है। वर्ष के अंत में दायित्वों का निर्धारण बीमांकिक आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन "प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट" पद्धति के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के कारण उत्पन्न लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

निम्नलिखित तालिकाएँ ग्रेच्युटी और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि के संबंध में परिभाषित लाभ योजना की वित्त पोषित स्थिति निर्धारित करती हैं।

(i) परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन

	31 मार्च 2026 को (राशि लाख रुपयों में)	31 मार्च 2025 को (राशि लाख रुपयों में)
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	21.48	18.85
ब्याज लागत	1.56	1.27
वर्तमान सेवा लागत	8.47	6.15
भुगतान किया गया लाभ	(7.49)	(6.54)
बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर हानि	6.93	1.75
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	30.95	21.48

(ii) योजना संपत्तियों का उचित मूल्य

वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	23.27	18.09
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	1.79	1.34
योगदान	2.91	6.83
भुगतान किया गया लाभ	—	(3.40)
योजना संपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.18	0.41
वर्ष के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	28.15	23.27

(iii) योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ

योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	1.79	1.34
बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.18	0.41
योजना संपत्तियों पर वास्तविक लाभ	1.97	1.74

(iv) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि

परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	30.95	21.48
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	28.15	23.27
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता/(सम्पत्ति)	2.81	(1.78)

(v) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

वर्तमान सेवा लागत	8.47	6.15
ब्याज लागत	1.56	1.27
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(1.79)	(1.34)
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	6.76	1.34
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	15.00	7.43

(vi) बैलेंस शीट समाधान

वर्ष की शुरुआत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)	(1.79)	0.76
व्यय उपरोक्तानुसार	15.00	7.43
योगदान/लाभ का भुगतान	(10.41)	(9.97)
वर्ष के अंत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)	2.81	(1.78)

कंपनी की योजनाबद्ध परिसंपत्तियों का प्रबंधन ट्रस्ट और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा कंपनी की ग्रेच्युटी योजना के संबंध में कंपनी के दायित्वों को निधि देने के लिए ली गई बीमा पॉलिसी के संदर्भ में किया जाता है। समूह ग्रेच्युटी फंड के लिए निवेश पैटर्न के संबंध में योजना परिसंपत्तियों की श्रेणियों के बारे में जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है।

परिभाषित लाभ प्रतिबद्धताओं और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली बीमांकिक गणना निम्नलिखित धारणाओं पर आधारित होती है, जो यदि बदली जाती है, तो परिभाषित लाभ प्रतिबद्धता के आकार, फंडिंग आवश्यकताओं और व्यय को प्रभावित करेगी।

(vi) प्रमुख बीमांकिक धारणाएँ

	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
छूट की दर	7.25%	7.10% p.a.
अपेक्षित वेतन वृद्धि	7.00%	7.00% p.a.
कर्मचारी क्षरण दर:		
30 वर्ष से कम	5%	5%
उम्र 31–44 साल	3%	3%
उम्र 44 और उससे अधिक	1%	1%
प्रयुक्त मृत्यु दर तालिका	IAL (2012–14) ultimate	IAL (2012–14) ultimate

योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की अपेक्षित दर, योजना परिसंपत्तियों की संरचना, निवेश रणनीति, बाजार की स्थिति आदि जैसे विभिन्न लागू कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है।

छूट दर, बैलेंस शीट की तारीख को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित बाजार प्रतिफल के आधार पर, दायित्व की अनुमानित अवधि के लिए निर्धारित की जाती है।

भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन वृद्धि तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है।

(viii) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए बीमांकिक धारणाएँ

क्षतिपूर्क अवकाश के लिए दायित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त बीमांकिक मान्यताएँ उपर्युक्त (vii) के समान हैं।

(ix) अनुभव समायोजन

	31.03.2026 (रुपयें लाख में)	31.03.2025 (रुपयें लाख में)	31.03.2024 (रुपयें लाख में)	31.03.2023 (रुपयें लाख में)	31.03.2022 (रुपयें लाख में)
परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	30.95	21.48	18.85	12.17	7.55
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	28.15	23.27	18.09	12.30	0.86
वित्तपोषित स्थिति	2.81	(1.78)	0.76	(0.13)	6.69
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	(6.93)	(1.75)	(1.55)	(0.78)	(0.86)
योजना संपत्तियों पर लाभ/(हानि)	0.18	0.41	0.22	—	—

Note 31: पट्टा व्यवस्थाएँ

कंपनी ने कार्यालय परिसर एवं बल्क मिल्क चिलिंग सेंट्रों के लिए पट्टा व्यवस्थाएँ की हैं। कंपनी ने लाभ एवं हानि के विवरण में ₹ 14.17 लाख (पिछले वर्ष ₹ 13.43 लाख) के पट्टा किराया व्यय दर्ज किया है। कंपनी द्वारा लिए गए पट्टे निरस्तीकरण योग्य प्रकृति के हैं।

Note 32: प्रति समता अंश आय

अंश आय	इकाई	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
कर के बाद शुद्ध लाभ	राशि लाख रु में	38.02	45.05
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	संख्या लाख में	7.19	6.08
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	रुपये	100	100
प्रति शेयर मूल आय	रुपये	5.29	7.41
प्रति शेयर डाइल्यूटिड आय की गणना करने के लिए उपयोग जाने वाले इक्विटी शेयरों	संख्या लाख में	7.19	6.08
डाइल्यूटिड आय प्रति शेयर	रुपये	5.29	7.40

Note 33: भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र योजना “राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम” – “सहकारिता के माध्यम से डेयरी” के घटक बी के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) से प्राप्त/प्राप्ति योग्य अनुदान का विवरण और उसका उपयोग निम्नानुसार है – लेखा नीति संख्या 2(k) देखें:

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए (राशि लाख रुपयों में)	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए (राशि लाख रुपयों में)
(a) प्रारंभिक शेष	68.43	355.07
(b) वर्ष के दौरान प्राप्त/भुगतान	397.34	198.09
	465.77	553.16
(c) वर्ष के दौरान उपयोग किया गया		
(i) पूंजीगत संपत्ति के लिए:		
— संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (CWIP सहित) के लिए	189.01	300.96
(ii) राजस्व व्ययों के लिए	280.04	183.77
कुल उपयोग (i) + (ii)	469.05	484.73
(d) अग्रेषित शेष राशि (A+B-C) – नोट 11 और 18 देखें	(3.27)	68.43

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

Note 34: अनुपात

क्र.	अनुपात	अंश (Numerator)	हर (Denominator)	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	% परिवर्तन	25% से अधिक परिवर्तन का स्पष्टीकरण
1	चालू अनुपात (गुणा में)	चालू परिसंपत्तियाँ	चालू देनदारियाँ	2.21	0.34	आवश्यक नहीं
2	ऋण-इक्विटी अनुपात (गुणा में)	कुल ऋण (गैर-चालू एवं चालू)	शेयरधारकों की इक्विटी (कुल इक्विटी)	0.22	17.75	आवश्यक नहीं
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (गुणा में)	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय = करों के बाद शुद्ध लाभ+मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय + व्याज + गैर-नकद परिचालन व्यय + अन्य गैर-नकद समायोजन	ऋण सेवा = व्याज + मूलधन का पुनर्मुग्तान	0.05	14,137.28	यह परिवर्तन पिछले वर्ष बिल डिस्काउंटिंग से संबंधित अत्यधिक उधारों के पुनर्मुग्तान के कारण है। उक्त बिल डिस्काउंटिंग को पिछले वर्ष बद कर दिया गया था, इसीलिए चालू वर्ष में इससे संबंधित कोई पुनर्मुग्तान नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, ऋण सेवा कवरेज अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
4	इक्विटी पर प्रति लाभ अनुपात (%)	करों के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारकों की औसत इक्विटी	2.54	(22.24)	आवश्यक नहीं
5	स्टॉक आवर्त अनुपात (गुणा में)	उपभोग की गई सामग्री की लागत + व्यापारिक माल की खरीद + स्टॉक में परिवर्तन	औसत स्टॉक	102.77	13.52	आवश्यक नहीं
6	व्यापार प्राय आवर्त अनुपात (गुणा में)	शुद्ध उधार बिक्री	औसत व्यापार प्राय	31.65	181.6	यह परिवर्तन औसत व्यापार प्रायों में ₹2,036.31 लाख से घटकर ₹93.02 लाख होने तथा इसी अवधि में राजस्व में 29% की वृद्धि के कारण है।
7	व्यापार देय आवर्त अनुपात (गुणा में)	शुद्ध उधार खरीद	औसत व्यापार देय	25.2	(7.47)	आवश्यक नहीं
8	शुद्ध पूंजी आवर्त अनुपात (गुणा में)	परिचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी = चालू परिसंपत्तियाँ - चालू देनदारियाँ	15.37	21.78	आवश्यक नहीं
9	शुद्ध लाभ अनुपात (%)	करों के बाद शुद्ध लाभ	कुल आय	0.13	(35.88)	यह परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में करों के बाद शुद्ध लाभ में 13% की कमी के कारण है, जबकि इसी अवधि में राजस्व में 29% की वृद्धि हुई है।
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (%)	व्याज एवं कर से पूर्व आय (EBIT)	नियोजित पूंजी = मूल निवल संपत्ति+ कुल ऋण + आस्थायित कर देयता	3.52	(51.27)	यह परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में EBIT में 45% की कमी के कारण है, जबकि इसी अवधि में नियोजित पूंजी में 14% की वृद्धि हुई है।
11	निवेश पर प्रतिलाभ (%)	निवेश से अर्जित आय	समय-मात्रित औसत निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	आवश्यक नहीं

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

Note 35: अन्य वैधानिक जानकारी

- कंपनी के पास 31 मार्च, 2026 को कोई अचल संपत्ति नहीं थी।
- कंपनी ने प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (KMPs) तथा संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित) को, किसी अन्य व्यक्ति के साथ अलग-अलग या संयुक्त रूप से, ऐसे कोई ऋण या ऋण की प्रकृति के अग्रिम नहीं दिए थे, जो मांग पर या पुनर्भुगतान की किसी अवधि या शर्त को निर्दिष्ट किए बिना चुकाने योग्य हों।
- कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं थी तथा बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ या लंबित नहीं थी।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी जानबूझकर ऋण चूककर्ताओं (Willful Defaulters) से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य ऋणदाता (कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित) अथवा उनके किसी संघ (Consortium) द्वारा जानबूझकर ऋण चूककर्ता घोषित नहीं किया गया था।
- कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत हटाई गई (Struck&off) कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया था।
- कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान क्रिप्टोकॉरेसी या वर्चुअल करेंसी में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- कंपनी ने उधार ली गई निधियों, प्रतिभूति प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत अथवा किसी भी प्रकार की निधियों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं, ("मध्यस्थ") को या उनमें कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो) अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है, इस समझ के साथ कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थियों") को ऋण देगा या उनमें निवेश करेगा अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की व्यवस्था प्रदान करेगा।
- कंपनी के पास ऐसा कोई प्रभार या प्रभार की संतुष्टि नहीं थी, जिसे वैधानिक अवधि के बाद भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास पंजीकृत किया जाना शेष हो।
- कंपनी ने किसी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं, ("निधि प्रदाता") से ऐसी कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधि प्रदाता द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थियों") को ऋण देगी या उनमें निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की व्यवस्था प्रदान करेगी।

Note 36: लेखा मानक (एसएस) 18 – "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:**A. संबंधित पक्षों का नाम और संबंध की प्रकृति****संबंध की प्रकृति**

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

नाम

धर्मेन्द्र कुमार – निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

B. उपरोक्त संबंधित पक्षों के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन की प्रकृति और मात्रा निम्नानुसार है:

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	केएमपी	कुल
प्रबंधकीय पारिश्रमिक:		
धर्मेन्द्र कुमार – निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी	31.36	31.36
	(9.28)	(9.28)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े दर्शाते हैं

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

Note 37:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण:

विवरण		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन राशि	99.49	135.82
(ii)	लेखांकन वर्ष के अंत तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को देय ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया है	—	—
(iii)	नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ भुगतान की गई ब्याज की राशि	—	—
(iv)	वर्ष के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि	—	—
(v)	लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज राशि	—	—
(vi)	आगे वर्ष में भी उस तिथि तक देय और भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज की राशि, जब तक कि उपर्युक्त देय ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं कर दिया जाता।	—	—

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशियाँ, प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, जहाँ तक ऐसे पक्षों की पहचान की गई है, निर्धारित की गई है। इस संबंध में उपलब्ध जानकारी पर लेखापरीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।

Note 38:

कंपनी दूध और पशु आहार के व्यापार में लगी हुई है, जिसे एकल व्यवसाय खंड माना जाता है। कंपनी भारत में एकल भौगोलिक क्षेत्र में काम करती है। सेगमेंट रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक एएस-17 के तहत अपेक्षित खुलासे की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी एक व्यवसाय और भौगोलिक सेगमेंट में काम करती है।

Note 39:

सभी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति, उसके परिचालन तथा वसूली के आधार पर, कंपनी ने अपने परिचालन चक्र की अवधि 12 माह से कम निर्धारित की है। अतः परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह की अवधि को आधार माना गया है।

Note 40:

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ आवश्यक समझा गया है, चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप पुनःसमूहीकृत/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

नरसा कुंवर
अध्यक्ष
DIN: 09691291

लक्ष्मी कुमारी चौबीसा
निदेशक
DIN: 09150409

धर्मेन्द्र कुमार
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN: 08122632

सीएस जैसराज
कंपनी सचिव
एम.नं. A42206

हर्षित जैन
प्रबंधक
वित्त एवं लेखा

स्थान: उदयपुर
दिनांक: 18.08.2026



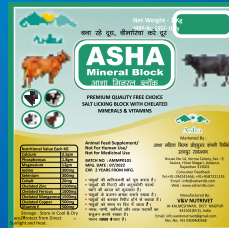
***Celebrating
10th Foundation Day of Asha***





Asha

मेरी पहचान मेरी आशा



ASHA MAHILA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED

Plot No-03, Paneriyo Ki Madri, Sector -9, C-Block, Hiran Magri, Savina, Udaipur, Rajasthan – 313002
Mobile +91 95872 21133 | Email : info@ashamilk.com | www.ashamilk.com

ASHAMMPC2K16

ashadairy_2016

@ASHA_MMPCL